सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	2
2.	रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का अवलोकन	3–15
3.	विभाग की योजनाएं और रूपरेखा	16–18
4.	पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	19–24
5.	पेट्रोरसायन की नई योजनाएं	25–27
6.	अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां	28–29
7.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	30–34
8.	रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं व्यापार आसूचना	35–36
9.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	37–47
10.	स्वायत्त संस्थान	48–65
11.	संवर्धनात्मक गतिविधियां और प्रमुख कार्यक्रम	66
12.	सामान्य प्रशासन	67–76

अनुबंध

I	उत्पाद–वार स्थापित क्षमता और प्रमुख रसायनों का उत्पादन	77–80
II	उत्पाद–वार स्थापित क्षमता और प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन	81–84
III	रोटरडेम कन्वेंशन के तहत खतरनाक रसायन	85–86
IV	संगठन चार्ट	87

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य हैः

- **i.** देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना और
- **ii.** उद्योग के उपर्युक्त क्षेत्रों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी का माहौल बनाना।

1.2 विभाग को निम्नांकित व्यापक विषय–वस्तुओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने का अधिदेश प्राप्त हैः–

- **i.** कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 का 46 के प्रशासन को छोड़कर), कीटनाशक;
- **ii.** डाई–सामग्री और डाई–इंटरमीडिएट;
- **iii.** सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य विभाग या मंत्रालय को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हों;
- **iv.** विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास और नियंत्रण और उनकी सहायता;
- **v.** भोपाल गैस रिसाव त्रासदी उससे संबंधित विशेष कानून;
- **vi.** पेट्रोरसायन;
- **vii.** गैर–सेल्युलोज सिंथेटिक फाइबर (नाइलोन, पॉलिस्टर, एक्रीलिक इत्यादि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;
- **viii.** सिंथेटिक रबर; और
- **ix.** प्लास्टिक के फेब्रिकेशन सहित प्लास्टिक और मोल्डिड सामग्री।

1.3 विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग हैं – रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांख्यिकी एवं मॉनीटरिंग (एसएंडएम) और आर्थिक प्रभाग। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तीनों विभागों का एक ही एकीकृत वित्त प्रभाग है।

1.4 रसायन सेक्टर में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) नामतः हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिल (इंडिया) लि. तथा एचओसीएल की सहायक कंपनी हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक सीपीएसयू, अर्थात, ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) हैं। इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं।

1.5 श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा दिनांक 13.11.2018 से रसायन तथा उर्वरक मंत्री है। श्री मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। श्री पी. राघवेंद्र राव विभाग के सचिव हैं।

* * * * *

अध्याय – 2

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग का अवलोकन

विजन स्टेटमेंट 2024, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

2.1 भारत को एक अग्रणी रसायन और पेट्रोरसायन विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के अवसर का लाभ लेना।

- आयात निर्भरता में कमी पर बल देकर,
- गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण के लिए निवेश को आकर्षित करना
- अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना,
- निर्दिष्ट समूहों में,
- स्थिरता पर फोकस के साथ

... $5 ट्रलियिन की भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र ($1 ट्रलियिन) में $200 बलियिन का योगदान करना

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग

2.2 रसायन उद्योग एक ज्ञान उन्मुख एवं पूंजी प्रधान उद्योग है। यह उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न घटक है। इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, रंग, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र एंव प्रसाधन सामग्री और औषधि शामिल हैं। रसायन उद्योग के भीतर व्यापक विविधता है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। यह उद्योग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक एवं कृषि विकास की रीढ़ है तथा यह कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों जैसे वस्त्र, कागज, रंग, वार्निश, साबुन, डिटर्जेंट, औषधि आदि के लिए मूलभूत सामग्री प्रदान करता है।

2.3 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, उद्योग खंड 20 के अंतर्गत शामिल हैं। इस खंड में 4–अंक स्तर पर उत्पाद समूहों का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 1 – उत्पाद समूहों का विवरण

श्रेणी	विवरण
2011	मूल रसायनों का विनिर्माण
2012	उर्वरक व नाइट्रोजन कंपाउन्ड का विनिर्माण
2013	प्राथमिक रूप में प्लास्टिक एवं सिंथेटिक रबर का विनिर्माण
2021	कीटनाशक एवं अन्य कृषि–रसायन उत्पादों का विनिर्माण
2022	रंग, वार्निश एवं समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग स्याही एवं मास्टिक्स का विनिर्माण
2023	साबुन एवं डिटर्जेंट, क्लीनिंग एवं पॉलिशिंग तैयारी, इत्र एवं प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण
2029	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण एन.ई.सी.
2030	मानव निर्मित फाइबर का निर्माण

एनआईसी 2004 का औद्योगिक प्रभाग 24, एनआईसी 2008 के औद्योगिक प्रभाग 20 (रसायन एवं रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण), 21 (औषध, चिकित्सा रसायन एवं पादप उत्पादों का विनिर्माण)तथा 268 (मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मीडिया का विनिर्माण) के समकक्ष है।

2.4 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओं) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2019 के अनुसार, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद क्षेत्र (एनआईसी 2008 का उद्योग खण्ड 20) वर्ष 2016–17 में 1.07% की तुलना में वर्ष 2017.18 में सभी आर्थिक कार्यकलापों के लिए सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) का 1.69% (2011.12 के मूल्य पर) था। वर्ष 2011–12 के मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र में इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्द्धन में हिस्सेदारी, वर्ष 2016–17 में 5.88% की तुलना में 2017–18 के दौरान 9.40% थी। औषध क्षेत्र सहित, रसायन और रसायनिक उत्पाद क्षेत्र (एनआईसी 2008 का उद्योग खंड 20 और 21) 2016–17 में 2.27% की तुलना में 2017–18 के दौरान सभी आर्थिक कार्यकलापों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का 2.90% (2011–12 के मूल्य पर) था। वर्ष 2011–12 के मूल्य पर विनिर्माण के क्षेत्र में इस क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 2016–17 में 12.53% की तुलना में 2017–18 में 16.13% थी। रसायन और रासायनिक उत्पादों के औद्योगिक उत्पादन का औसत वार्षिक सूचकांक (एनआईसी 2008 का उद्योग खंड 20) पर आधारित सीएजीआर 2014–15 से वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान 2.13% है। भारतीय रसायन उद्योग (एनआईसी 2008 के उद्योग खंड 20) का आकार, उत्पादन मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2016–17 में 6,83,538 करोड़ रुपए था, जबकि औषध सहित, भारतीय रसायन उद्योग (एनआईसी 2008 का उद्योग खंड 20 और 21) का आकार उत्पादन मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2016–17 में 10,81,265 करोड़ रु. था।

2.5 चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान (सितम्बर, 2019 तक) तालिका–II में प्रस्तुत है। 2019–20 (सितंबर, 2019 तक) में प्रमुख रसायन और पेट्रोरसायन का कुल

उत्पादन 13,871 हजार मीट्रिक टन था। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान रसायन और पेट्रोरसायन के कुल उत्पादन में सीएजीआर 4.78% है।

तालिका II: चुनिंदा प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

समूह	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर	2019–20 (अप्रैल 19 से सितम्बर 19 तक)
एल्कली रसायन	6625	6802	7009	7631	8043	4.97	4112
अकार्बनिक रसायन	944	1002	1053	1058	1064	3.03	499
कार्बनिक रसायन	1619	1589	1638	1799	1884	3.87	922
कीटनाशक	186	188	214	213	217	3.83	93
रंजक एवं रंग द्रव्य	285	304	320	367	382	7.54	191
कुल प्रमुख रसायन	9660	9884	10234	11069	11589	4.66	5817
सिंथेटिक फाइबर	3532	3558	3599	3625	3601	0.49	1933
पॉलीमर्स	7558	8839	9163	9276	10040	7.36	4785
इलास्टोमर्स	172	242	285	308	351	19.58	178
(सिंथेटिक रबर)							
सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट्स	596	566	664	743	687	3.63	337
परफॉर्मेंस प्लास्टिक	1591	1700	1799	1719	1589	–0.04	821
कुल प्रमुख पेट्रोरसायन	13448	14905	15510	15670	16269	4.88	8054
कुल प्रमुख रसायन एवं पेट्रोरसायन	23108	24788	25744	26739	27858	4.78	13871

नोट : वृहत एवं मध्यम आकार के अंतर्गत विनिर्माताओं से मासिक उत्पादन रिटर्न पर आधारित कुल रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादन समाहित है। प्रमुख रसायनों एवं पेट्रोरसायनों की स्थापित क्षमता और उत्पादन का उत्पाद–वार और समूह–वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध –I एवं II में है।

रसायन क्षेत्र – उत्पादन रूझान

2.6 तालिका–II से यह देखा जा सकता है कि 2019–20 (सितम्बर, 2019 तक) के लिए प्रमुख रसायनों के कुल उत्पादन का 71% हिस्सा एल्कली रसायनों का है। 2019–20 (सितंबर, 2019 तक) में प्रमुख रसायन का उत्पादन 5,817 हजार मीट्रिक टन है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान मूल प्रमुख रसायन के कुल उत्पादन में सीएजीआर 4.66% है। चुनिन्दा प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रूझान चार्ट–I में दर्शाया गया है।

चार्ट – I प्रमुख रसायनों के उत्पादन का रूझान

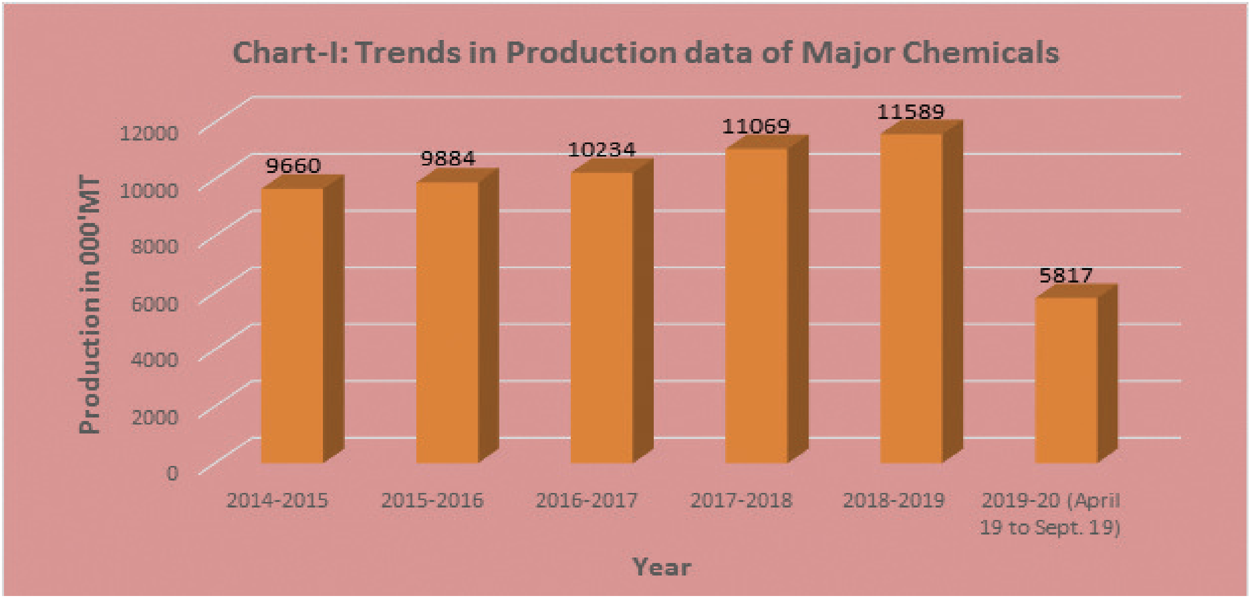

पेट्रोरसायन क्षेत्र – उत्पादन रूझान

2.7 पेट्रोरसायन को, जिसमें प्लास्टिक एवं अन्य रसायन शामिल हैं, डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य संवर्धन, संभावना के नए द्वार खोलता है और जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे वस्त्र एवं परिधान, कृषि, पैकिंग, अवसंरचना, स्वास्थ्य देखरेख, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स और दूरसंचार, सिंचाई, पेय जल, निर्माण एवं अन्य दैनिक तथा विशेष उपयोग के उभरते क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है।

2.8 7.27 मिलियन मीट्रिक टन की संयुक्त वार्षिक ईथीलीन क्षमता के साथ देश में परिचालन में 11 क्रैकर परिसर हैं।

क्र.सं.	स्वामी	क्रैकरों की संख्या	फीडस्टॉक	कुल डिजाइन क्षमता (केटीपीए एथिलीन)
1	गेल	2	गैस	860
2	एचपीएल	1	नेफ्था	700
3	आईओसीएल	1	नेफ्था	857
4	आरआईएल	5	गैस + नेफ्था	3580
5	BCPL	1	गैस + नेफ्था	220
6	ओपीएएल	1	गैस + नेफ्था	1060
	कुल	**11**		**7277**

2.9 तालिका–II से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–20 (सितंबर, 2019 तक) के लिए मूल प्रमुख पेट्रोरसायन के कुल उत्पादन में पॉलिमर का हिस्सा लगभग 59% है। 2019–20 में (सितंबर, 2019 तक) मूल प्रमुख पेट्रोरसायन का उत्पादन 8,054 हजार मीट्रिक टन है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान प्रमुख पेट्रोरसायन के उत्पादन में सीएजीआर 4.88% है। चुनिंदा प्रमुख पेट्रोरसायनों के उत्पादन के रूझान को चार्ट–II में दर्शाया गया है।

चार्ट.II प्रमुख पेट्रोरसायनों के उत्पादन का रूझान

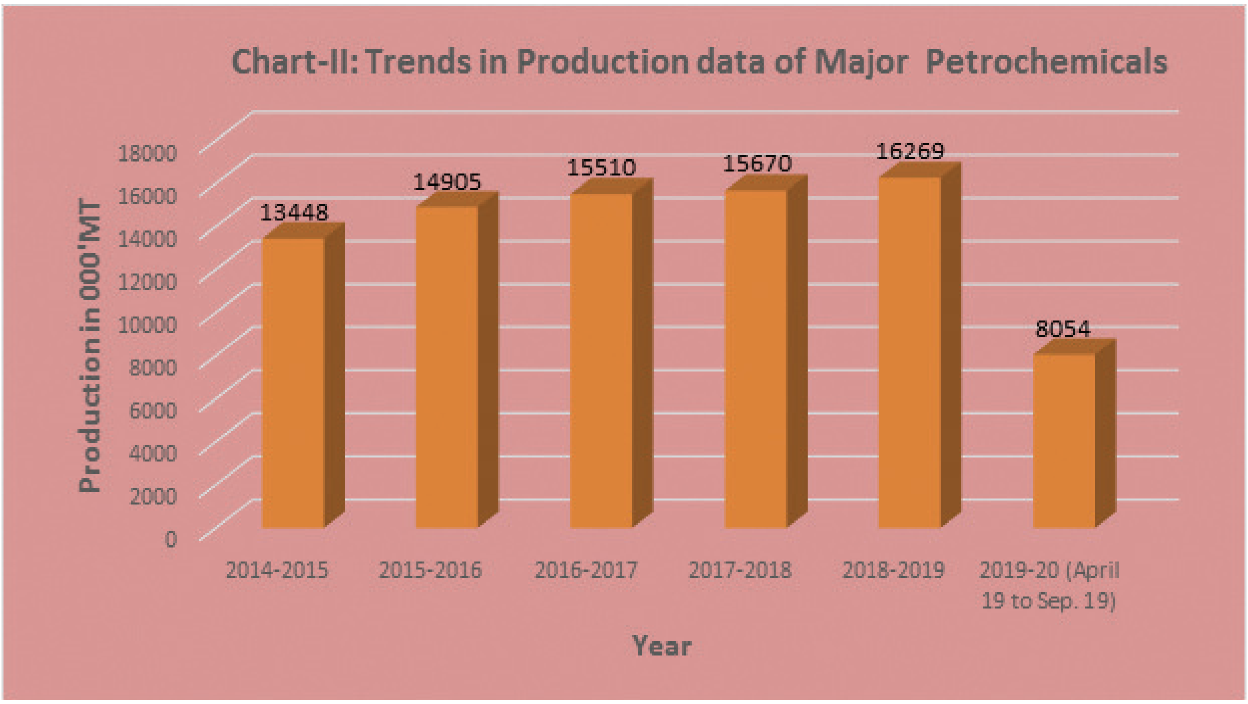

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2.10 रसायन एवं रसायन उत्पादों का भार (एनआईसी 2008 का औद्योगिक खंड 20) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 100 में 7.87 (आधार वर्ष: 2011–12) है। सामान्य सूचकांक सितम्बर, 2019 के माह में 123.30 है जो सितम्बर, 2018 के माह के स्तर की तुलना में 4.27% कम है। अक्टूबर–सितम्बर, 2018–19 की अवधि के लिए सामान्य सूचकांक की संचयी वृद्धि, गत वर्ष 2017–18 की संगत अवधि की तुलना में 1.93% है। विनिर्माण क्षेत्र में सितम्बर, 2019 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 126.50 है, जो सितम्बर, 2018 माह के स्तर की तुलना में 3.87% कम है, जबकि रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के लिए सितम्बर, 2019 माह में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 118.60 है, जोकि सितम्बर, 2018 माह के स्तर की तुलना में 1.41% कम है। विनिर्माण क्षेत्र में संचयी वृद्धि वर्ष 2017–18 की संगत अवधि की तुलना में अक्टूबर–सितम्बर, 2018–19 में 1.71% रही है जबकि 2017–18 की संगत अवधि की तुलना में अक्टूबर–सितम्बर, 2018–19 के दौरान रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों में संचयी वृद्धि 0.36% रही है। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का माह–वार ब्यौरा तालिका–III में दिया गया है।

तालिका – III औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष– 2011–12 = 100)			
अवधि	रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	विनिर्माण	सामान्य
भार	7.87	77.63	100.00
अक्टूबर –17	116.90	123.70	122.50
नवम्बर –17	119.10	127.70	125.80
दिसम्बर –17	119.00	132.00	130.60
जनवरी –18	120.10	133.80	132.30
फरवरी –18	110.90	129.70	127.40
मार्च –18	126.90	140.20	140.30
अप्रैल–18	112.90	123.10	122.60
मई–18	119.90	130.10	129.60
जून–18	116.50	128.60	127.70
जुलाई–18	116.40	127.60	125.70
अगस्त–18	126.00	130.60	128.00
सितम्बर–18	120.30	131.60	128.80
अक्टूबर–18	118.0	133.90	132.80
नवम्बर–18	110.90	126.80	126.10
दिसम्बर–18	122.40	135.80	133.90
जनवरी–19	123.70	135.50	134.40
फरवरी–19	111.60	129.30	127.60
मार्च–19	128.90	144.60	144.10
अप्रैल–19	116.10	126.20	126.50
मई–19	118.90	135.80	135.40
जून–19	116.00	129.00	129.30
जुलाई–19	124.60	133.40	131.50
अगस्त–19	120.30	128.50	126.20
सितम्बर–19	118.60	126.50	123.30

स्त्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओं), सांखयिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

2.11 वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक विनिर्माण के संबंध में सामान्य आईआईपी एवं आईआईपी की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के आईआईपी का बर्ताव तालिका–IV और चार्ट–III में दर्शाया गया है।

2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान आईआईपी पर आधारित रसायन और रसायन उत्पादों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.17% है जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह 4.05% है।

तालिका –VI : औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार वर्ष– 2011–12 = 100)

विवरण	भार	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर
रसायन और रसायन उत्पाद	7.87	109.20	113.70	116.50	116.10	119.00	2.17
विनिर्माण उत्पाद	77.63	112.70	115.90	121.00	126.60	131.50	3.93
सामान्य	100.00	111.00	114.70	120.00	125.30	130.10	4.05

स्त्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

चार्ट– III औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक औसत सूचकांक

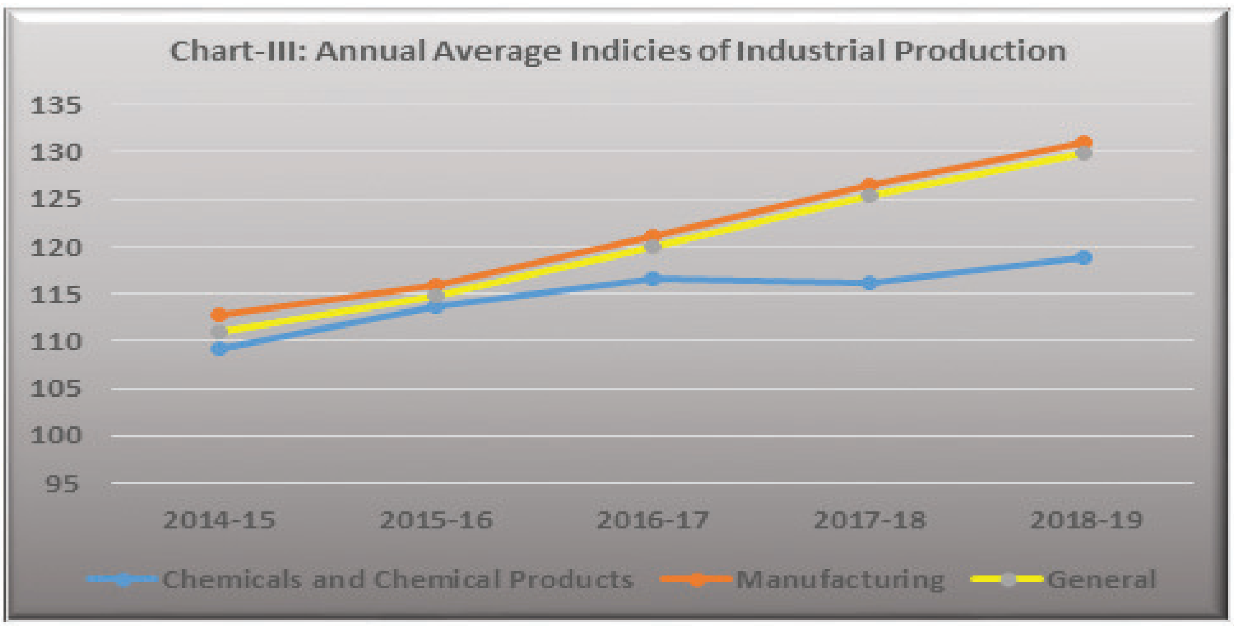

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

2.12 आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा 'सभी उत्पादों' के लिए जारी मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्षः 2011–12) के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर सितम्बर, 2018 की तुलना में सितम्बर, 2019 में 0.33% थी। इसी अवधि के दौरान, ''खाद्य पदार्थों'' के समूह के लिए सूचकांक में 7.47% की वृद्धि, ''विनिर्मित उत्पाद'' के लिए 0.42% और ''रसायन एवं रासायनिक उत्पाद'' समूह के लिए 1.42% की गिरावट दर्ज की गई। रसायन एवं रसायानिक उत्पादों का भार डब्ल्यूपीआई में सभी उत्पादों के 100 भार की तुलना में 6.47 है। अक्टूबर, 2017 से सितम्बर, 2019 तक के दौरान डब्ल्यूपीआई का माहवार सूचकांक तालिका–V में दिया गया है।

तालिका – V थोक बिक्री मूल्य सूचकांक

माह	सभी उत्पाद	खाद्य पदार्थ	विनिर्माण उत्पाद	रसायन और रासायनिक उत्पाद
अक्टूबर –17	115.6	148.0	113.7	111.9
नवम्बर–17	116.4	151.1	114.0	112.4
दिसम्बर –17	115.7	144.1	114.2	113.2
जनवरी –18	116.0	140.8	114.9	114.1
फरवरी –18	116.1	137.9	115.5	115.1
मार्च –18	116.3	137.3	115.8	115.5
अप्रैल–18	117.3	139.8	116.3	116.3
मई–18	118.3	140.3	116.9	117.4
जून–18	119.1	141.8	117.3	117.6
जुलाई –18	119.9	144.8	117.7	118.3
अगस्त –18	120.1	144.8	117.8	118.8
सितम्बर –18	120.9	144.5	118.4	119.6
अक्टूबर –18	122.0	145.9	118.9	120.5
नवम्बर –18	121.6	146.2	118.8	121.2
दिसम्बर –18	119.7	143.5	118.3	120.0
जनवरी –19	119.2	144.2	118.1	119.6
फरवरी –19	119.5	143.7	118.2	119.7
मार्च –19	119.9	144.5	118.3	119.6
अप्रैल–19	121.1	148.8	118.5	119.9
मई–19	121.6	150.6	118.6	119.8
जून –19	121.5	152.2	118.5	119
जुलाई –19	121.3	154.3	118	118.4
अगस्त –19	121.5	156.1	117.8	118.2
सितम्बर –19	121.3	155.3	117.9	117.9

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, (http://eaindustry.nic.in)

2.13 नीचे दी गई तालिका–VI और चार्ट–IV, वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक के दौरान, सभी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और निर्मित उत्पादों की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाती हैं। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पादों की औसत वार्षिक वृद्धि दर डब्ल्यूपीआई आधरित 0.64% है, जबकि निर्मित उत्पादों के लिए यह 1.47% है।

तालिका – VI : थोक बिक्री मूल्यों का वार्षिक औसत (अप्रैल–मार्च) सूचकांक

(आधार वर्ष– 2011–12 = 100)

विवरण	भार	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	सीएजीआर (%)
सभी उत्पाद	100.00	113.90	109.70	111.60	114.90	119.80	1.27
खाद्य पदार्थ	15.26	131.50	134.90	140.30	143.20	143.70	2.24
विनिर्मित उत्पाद	64.23	111.20	109.20	110.70	113.80	117.90	1.47
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.47	116.10	112.60	111.00	112.50	119.10	0.64

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालयए (http://eaindustry.nic.in)

चार्ट-IV अन्य सामग्रियों की तुलना में रसायन और रासायनिक उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक

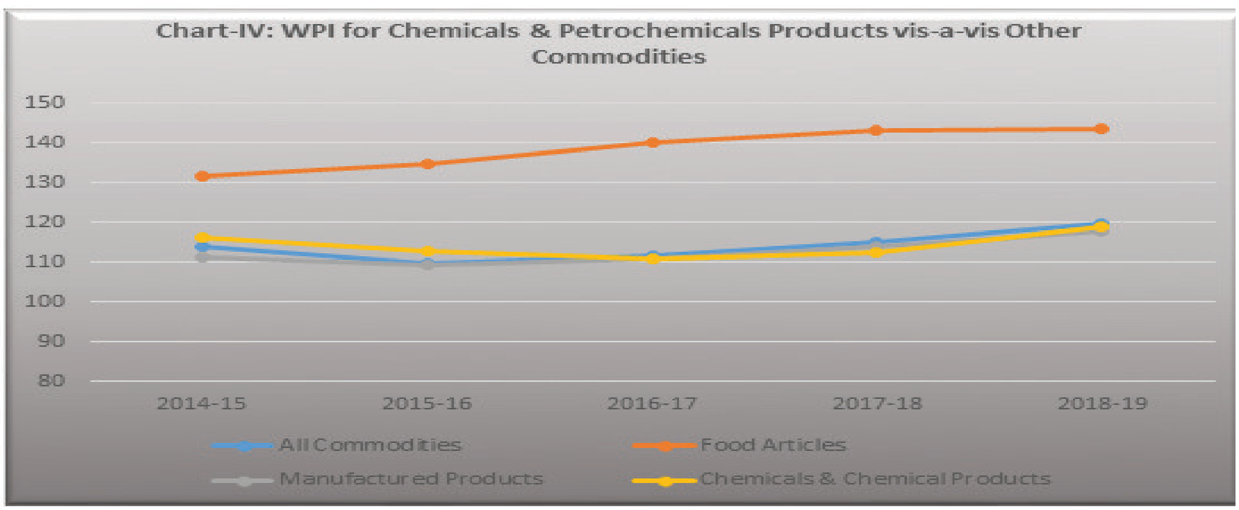

2.14 तालिका–VII, वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक के दौरान रसायन एवं रासायनिक उत्पादों में विभिन्न वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांक को दर्शाती है–

तालिका – VII : रसायन एवं रासायनिक उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्षः 2011–12 = 100)

विवरण	भार	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.47	116.10	112.60	111.00	112.50	119.10
मूल रसायन	1.43	114.10	105.80	104.70	111.20	125.00

उर्वरक और नाइट्रोजन कम्पाउँड	1.48	118.90	121.40	118.70	117.10	121.10
प्राथमिक रूप में प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर	1.00	124.40	115.30	113.70	113.00	117.60
कीटनाशक और अन्य कृषि–रसायन उत्पाद	0.45	120.70	122.60	116.80	115.30	120.20
रंग वार्निश और समान कोटिंग्स, प्रिंटिंग इंक और मास्टिक्स	0.49	111.90	109.80	108.50	108.60	112.70
साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और पॉलिश की सामग्री, इत्र और प्रसाधन सामग्री	0.61	112.40	112.30	113.70	115.20	116.70
अन्य रासायनिक उत्पाद	0.69	111.80	108.40	106.50	110.10	116.60
मानव निर्मित फाइबर	0.30	100.90	93.30	94.10	97.50	104.00

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (http://eaindustry.nic.in)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2.15 वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान रसायन और रासायनिक उत्पादों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) के निर्यात और आयात का रूझान तालिका–VIII ('क' और 'ख') तथा चार्ट-V और चार्ट VI में दिया गया है।

तालिका – VIII : रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्यात और आयात (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा)

(करोड़ रुपए में)

एच एस कोड	उत्पाद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सीएजीआर (%)	2018-19 (अप्रैल 18 से सितिम्बर 18 तक)	2019-20 (अप्रैल 19 से सितिम्बर 19 तक)
	कुल राष्ट्रीय निर्यात	1896445	1716384	1849434	1956515	2307726	5.03	1121475	1114603
28	अकार्बनिक रसायन	8749	7913	9138	11175	14056	12.58	6980	6046

29	कार्बनिक रसायन	73069	75295	78386	95381	127567	14.95	60932	63377
32	टेनिंग या डाइंग	17206	16165	17189	18951	23124	7.67	11232	12288
38	विविध रासायनिक उत्पाद	19432	20083	21792	25080	32397	13.63	14588	17459
39	प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	31022	34381	35502	40928	56079	15.95	27101	25517
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	379	452	480	571	739	18.13	383	369
54	मानव निर्मित फिलामेंट	14621	13460	13334	13984	16018	2.31	7912	7934
55	मानव निर्मित फाइबर	13334	13625	14373	13212	13308	–0.05	6733	5932
क : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		**177813**	**181374**	**190193**	**219281**	**283287**	**12.35**	**135860**	**138922**
	कुल निर्यात में% अंश	**9.4**	**10.6**	**10.3**	**11.2**	**12.3**		**12.1**	**12.5**

क. निर्यात

स्रोतः वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) कोलकाता

चार्ट-V कुल रसायन एवं रसायन उत्पादों के निर्यात में रूझान

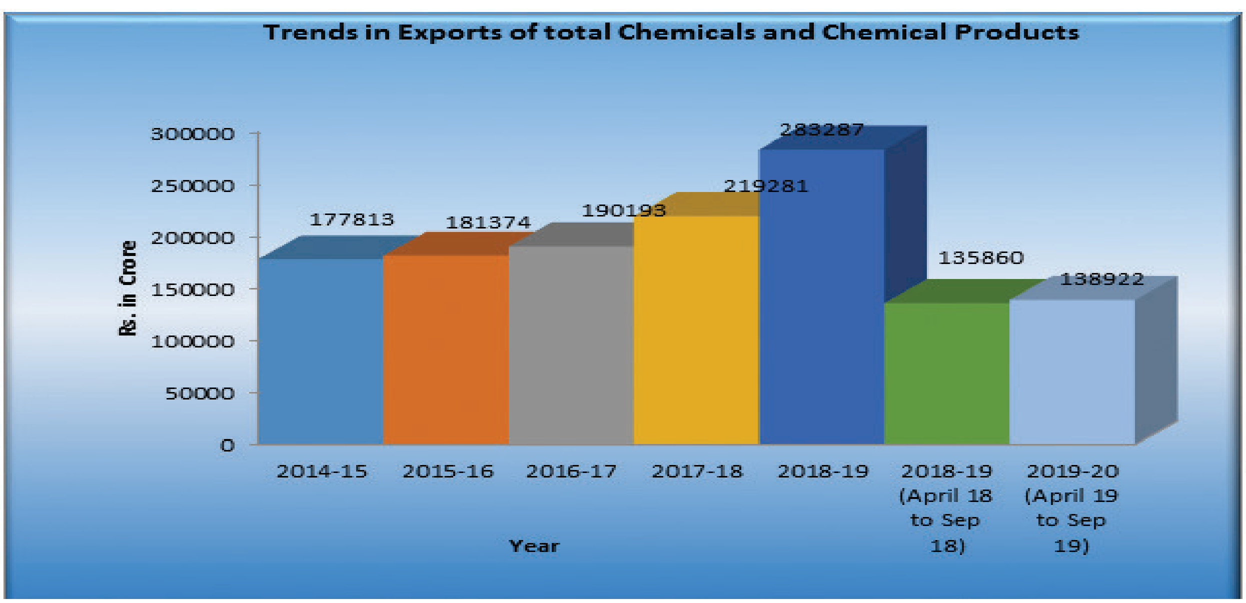

ख. आयात

(करोड़ रुपए में)

एचएस कोड	उत्पाद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सीएजीआर (%)	2018-19 (अप्रैल 18 से सितम्बर 18 तक)	2019-20 (अप्रैल 19 से सितम्बर 19 तक)
	कुल राष्ट्रीय आयात	2737087	2490306	2577675	3001033	3594675	7.05	1794884	1734903
28	अकार्बनिक रसायन	31413	33170	31654	38927	53237	14.10	27054	23512
29	कार्बनिक रसायन	108320	101986	103798	123761	156552	9.64	79718	75943
32	टेनिंग या डाइंग	9821	10467	11186	12995	15460	12.01	7745	7769
38	विविध रासायनिक उत्पाद	25494	27207	30642	35521	41748	13.12	20714	21972
39	प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	71398	74566	77573	89768	106591	10.54	53592	52849
4002	सिंथेटिक रबर एवं फेक्टिस	6697	5205	5654	6687	7896	4.20	4020	3255
54	मानव निर्मित फिलामेंट	5042	4879	4856	5538	6843	7.94	3241	3963
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	4539	4401	3826	4658	6508	9.43	3472	3670
ख : कुल रसायन और पेट्रोरसायन उत्पाद		**262722**	**261880**	**269189**	**317856**	**394834**	**6.56**	**199557**	**250019**
	कुल आयात में % अंश	**9.6**	**10.5**	**10.4**	**10.6**	**11.0**		**11.1**	**14.4**

स्रोतः वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) कोलकाता

चार्ट-VI कुल रसायन एवं रसायन उत्पादों के आयात में रूझान

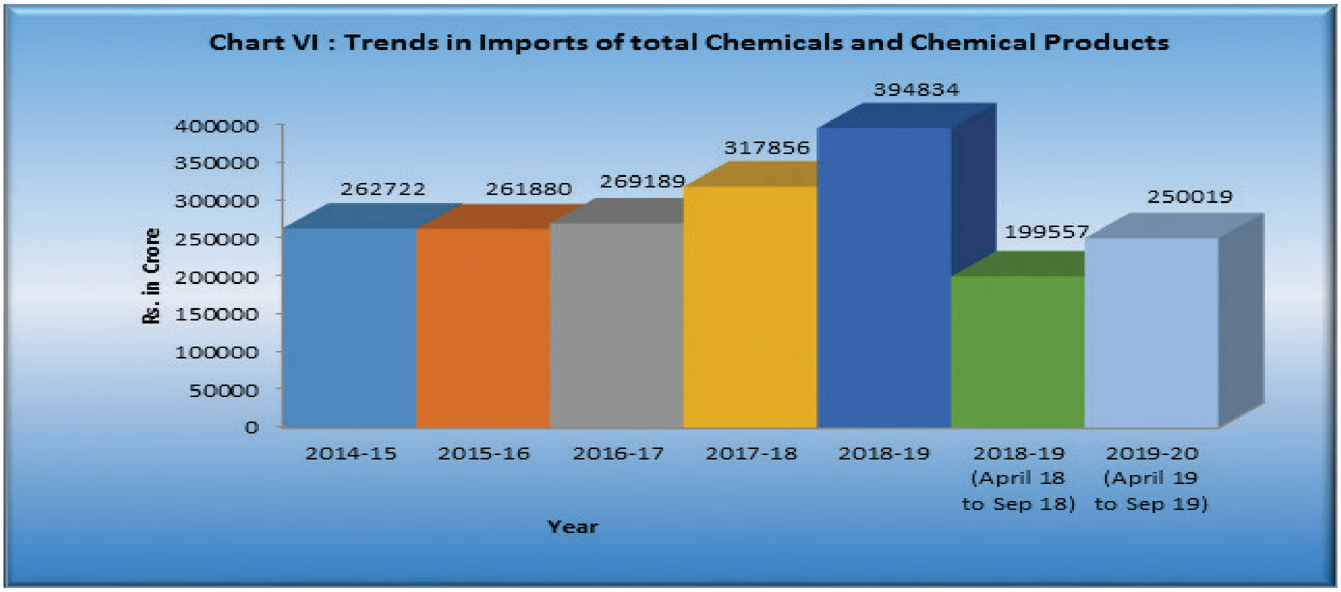

2.16 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (सितंबर 2019 तक) निर्यात और आयात के आंकड़ों के अनुसार, रसायनों और पेट्रोरसायन उत्पादों (औषध उत्पादों और उर्वरकों के अलावा) का निर्यात वर्ष 2018–19 में इसी अवधि के दौरान के कुल निर्यात का 12.1% की तुलना में वर्ष 2019–20 (सितंबर 2019 तक) में 12.5% था। वर्ष 2019–20 (सितंबर, 2019 तक) में कुल आयात में 14% हिस्सा था जो कि वर्ष 2018–19 में 11.1% था। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल रसायन और रासायनिक उत्पादों (औषध और उर्वरक उत्पादों को छोड़कर) के निर्यात में सीएजीआर 12.35% है जबकि कुल राष्ट्रीय निर्यात का सीएजीआर 5.03% है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल रसायनों और रासायनिक उत्पादों (औषध और उर्वरक उत्पादों को छोड़कर) के आयात में सीएजीआर 6.56% है, जबकि कुल राष्ट्रीय आयात का सीएजीआर 7.05% है।

2.17 रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में विश्व में भारत का छठा तथा एशिया में चौथा स्थान है। भारत में रसायन क्षेत्र के बाजार का अनुमानित आकार 178 बिलियन यूएस डॉलर है जिसका 9.3% वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2024–25 तक 304 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। (स्रोतः फिक्की और सेफिक रिपोर्ट)

*****

अध्याय–3

विभाग की योजनाएं और रूपरेखा

3.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, केंद्रीय क्षेत्र की तीन योजनाओं, अर्थात पेट्रोरसायन की नई योजनाओं (प्लास्टिक पार्क्स स्कीम एंड स्कीम ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस) और रसायन संवर्धन एवं विकास योजनाओं (सीपीडीएस) और असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अपने सचिवालय के खर्च का वहन करने, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) को सहायता, जो कि शैक्षणिक, प्रौद्योगिकीय सहयोग, अनुसंधान एवं कौशल विकास की गतिविधियों में संलग्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) और भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी) के लिए अन्य योजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रहा है।

3.2 लगभग 2.8 लाख मीट्रिक टन पॉलिमर का उत्पादन करने के लिए मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना जुलाई, 2016 में माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) द्वारा अनुमोदित अंतिम संशोधित लागत 9965 करोड़ रु. है, जिसमें 5,239.45 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी, 3,307.88 करोड़ रुपये का ऋण और 1.417.67 करोड़ रु. की इक्विटी शामिल है। 5,239.45 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत सब्सिडी में से नवंबर, 2019 तक 5,090.00 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों में शेष पूंजीगत सब्सिडी मांगी गई है। संयंत्र/परियोजना को 2 जनवरी, 2016 में शुरू किया गया और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 05.02.2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। विभाग संयंत्र संचालन की कड़ी निगरानी कर रहा है। सचिव (रसायन और पेट्रोरसायन) और सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की सह–अध्यक्षता में हितधारकों की समन्वय समिति का गठन बीसीपीएल द्वारा सामना किए जा रहे संचालन मामलों के समाधान के लिए रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर गठित की गई थी, जिसकी अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं।

फिलहाल बीसीपीएल के प्रशासनिक नियंत्रण को दिनांक 01.01.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं 45012/10/2014/पीसी–I (एफटीएस : 6169) के द्वारा सीसीई, के अनुमोदन के अनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

3.3 प्लास्टिक पार्क स्कीम का बड़ा उद्देश्य रोजगार सृजन करने के साथ–साथ पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में योगदान करना है।

3.4 उत्कृष्टता केन्द्र योजनाए देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सुधार लाने और पॉलिमरों और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिन्हित अनुसंधान संस्थान (नों) को सहायतानुदान प्रदान करती है।

3.5 यह विभाग रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस) के अधीन रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों के विकास के लिए ज्ञान अर्जन और प्रसार के लिए कार्यशालाएं, गोष्ठियां और अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

3.6 यह विभाग सिपेट को अपनी सिविल एवं तकनीकी अवसंरचनाए अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं तथा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण पहलों को सशक्त बनाने और छात्रावासों के निर्माण तथा नए सिपेट केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजटीय सहायता प्रदान करता है।

3.7 आईपीएफटी, जोकि गुडगांव में स्थित है, इस विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसे सुरक्षित पर्यावरण तथा उपयोगकर्ता–अनुकूल कीटनाशक तैयार किए जाने वाले प्रौद्योगिकियों का विकास करने तथा कीटनाशकों और उसके अवशेषों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने हेतु तरीकों को तैयार करने का भी अधिदेश प्राप्त है।

3.8 कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय को भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा और अनुग्रह राशि वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। अनुग्रह वाले मामलों के निपटान के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.9 सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय आकस्मिक प्रकृति का है, जो विभाग के वेतन एवं कार्यालय व्यय आदि के भुगतान के लिए है।

तालिका – IX : योजनावार परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
1.	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)	100.00	200.00	0.01
2.	पेट्रोरसायन की नई योजनाएं	31.65	31.65	53.79
3.	रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)	3.00	3.00	3.50
	I का कुल	**134.65**	**234.65**	**57.30**
II	**अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबीएस/पीएसयू)**			
1.	सचिवालय	19.58	18.08	19.99
2.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	21.42	27.95	31.80
3.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	80.00	81.50	98.25
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)	8.00	8.00	11.00
	II का कुल	**129.00**	**135.53**	**161.04**
	कुल योग (I + II)	**263.65**	**370.18**	**218.34**

तालिका X : वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 का व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना	बजट अनुमान 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19	व्यय 2018-19	संशोधित अनुमान 2018-19 के संबंध में व्यय का%	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	व्यय (31.12. 2019 को)	बजट अनुमान (2019-20) के संबंध में व्यय का%
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं								
1.	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)	0.01	200.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00
2.	पेट्रोरसायन की नई योजनाएं	55.50	19.00	19.00	100.00	31.65	31.65	23.01	72.70
3.	रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)	3.00	2.50	2.39	95.60	3.00	3.00	1.93	64.33
	I का कुल					**134.65**	**234.65**	**124.94**	**92.79**
II	अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबीएस/पीएसयू)								
1.	सचिवालय	21.68	18.69	18.00	96.31	19.58	18.08	13.95	71.25
2.	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	28.32	21.30	20.98	98.50	21.42	27.95	14.99	69.98
3.	सेंट्रल इंस्टी. ट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	83.64	72.00	72.00	100.00	80.00	81.50	80.00	100.00
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसा. इड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)	7.50	7.50	7.50	100.00	8.00	8.00	7.49	93.62
	II का कुल					**129.00**	**135.53**	**116.43**	**90.26**
	कुल योग (I+ II)					**263.65**	**370.18**	**241.37**	**91.55**

*****

अध्याय – 4

पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

पृष्ठभूमि

4.1 इन क्षेत्रों में निवेश एवं औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दहेज), ओडिशा (पारादीप) एवं तमिलनाडु (कुड्डालोर एवं नागापट्टनम) में चार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

4.2 पीसीपीआईआर की संकल्पना, पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर एकीकृत एवं पर्यावरण अनुकूल रूप से बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की।

4.3 प्रत्येक पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल (प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए लगभग 40% चिन्हित क्षेत्र के साथ) लगभग 250 वर्ग किमी. का होता है। पीसीपीआईआर के लिए संपूर्ण क्षेत्र को अधिग्रहित करना, संबंधित राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि उन्हें संबंधित क्षेत्रीय योजना एवं क्षेत्रीय कानून के अधीन क्षेत्र को, अधिसूचित करना होता है।

4.4 संबंधित राज्य सरकारें, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कराती हैं तथा परियोजना कार्यान्वयन की अगुवाई करती हैं। भारत सरकार, जहां तक संभव होता है, सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के जरिए रेल, सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट तथा दूरसंचार आदि के माध्यम से पीसीपीआईआर में बाह्य भौतिक आधारभूत अवसंरचना कड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। केन्द्र सरकार इन कड़ियों के सृजन के लिए बजटीय सहायता के साथ व्यवहार्यता–अंतर–निधियन (वीजीएफ) के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए जहां कहीं भी अपेक्षित होता है, आवश्यक वित्तीय संसाधन भी प्रदान करती है।

4.5 नीति में प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टीनेंट के रूप मे एक रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीडस्टॉक कंपनी को रखने का प्रावधान है।

4.6 राज्य सरकार लिंकेजों के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग या एजेंसी को अधिसूचित करती है। प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए संगत विधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबंधन निकाय पीसीपीआईआर के विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

4.7 एक बार पूरी तरह स्थापित हो जाने के पश्चात, इन चार पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का निवेश हो चुका है/प्रतिबद्ध किया जा है। इन चार पीसीपीआईआर

में लगभग 33.83 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गतिविधियों के फलस्वरूप लगभग 3.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

4.8 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने पेट्रोरसायन उद्योग के लिए एक पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने का काम शुरू किया। इस संबंध में, अगले 15 से 20 वर्षों में पेट्रोरसायन मांग और आपूर्ति के सकल मुद्दे की जांच करने के लिए सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सचिव रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सह–अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

4.9 पीसीपीआईआर नीति, 2007 में संशोधन की सिफारिश करने के लिए नवंबर, 2019 में प्रधान सचिव (उद्योग), आंध्र प्रदेश सरकार, की अध्यक्षता में ओडिशा सरकार, गुजरात सरकार तमिलनाडु सरकार के सदस्यों और फिक्की, सीआईआई, आईसीसी, एआईपीएम, और सिपेट के प्रतिनिधियों की एक समिति भी गठित की गई है।

4.10 नए विकासशील विकास क्षेत्रों में अवसरों को दर्शाने और भारतीय पीसीपीआईआर को विश्व के अगले विनिर्माण हब के रूप में उभरने और स्थापित करने में सक्षम करने हेतु उनके संवर्धन के लक्ष्य के साथ 11–12 नवंबर, 2019 को मुंबई में ''समिट ऑन ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोरसायन मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया'' का आयोजन किया गया।

समिट ऑन ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोरसायन मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया

4.11 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार हैः

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश #	ओडिशा	तमिलनाडु
स्थान/क्षेत्र	दहेज, भरूच	विशाखापत्तनम – काकीनाडा	पारादीप	कुड्डालोर – नागापट्टनम
अनुमोदन की तिथि	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	जुलाई, 2012
समझौता ज्ञापन की तिथि	07.01.2010	01.10.2009	03.11.2011	20,02,2014
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी.)	453.00	640,00	284.15	256,83
प्रसंस्करण क्षेत्र(वर्ग किमी.)	248.00	270.00	123.00	104.00
एंकर टीनेंट	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन लि. (ओपीएएल)	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल)	टिडको नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ता. वित एंकर टीनेंट के पुनरूत्थान/इस स्थान पर लगाए जाने वाली नई परियोजना की प्रतीक्षा कर रहा है।
रिफाइनरी/क्रैकर क्षमता एमएमटीपीए में	क्रैकर : इथाइलीन : 1.1 प्रोपाइलीन : 0.6	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)	
एंकर परियोजना की स्थिति	चालू	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	फरवरी, 2016 से चालू	
अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं की कुल राशि (करोड़ रुपए में)*	एन्	18,731.00	13634.00	13354.00
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का अंशदान(करोड़ रुपए में)	80.50	1206.80	716.00	1143.00 (बजटीय सहायता 1500)
कुल प्रस्तावित निवेश(करोड़ रुपए में)	50,000.00	3,43,000.00	2,77,734.00	92,500.00
किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	1,12082	46,729.38. प्रतिबद्ध और 13845.04–अब तक किया गया वास्तविक व्यय	45,000.00	8,100.00
संभावित रोजगार (संख्या) *	8,00,000	11,98,000	6,48,000	7,37,200
सृजित रोजगार (संख्या)	1,80000	1,18,675	38,260	13,950
मास्टर प्लानिंग अधिसूचना की स्थिति	अनुमोदित विकास योजना	क्षेत्र अध्ययन एवं ग्रामीण स्तर के परामर्श का कार्य पूरा हो गया है। एक बार एंकर यूनिट द्वारा क्रैकर कॉम्प्लेक्स की लोकेशन, कनफिगरेशन और क्षमता आदि निर्धारित करने के बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।	मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा।

ईआई, की सथिति	पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र जोन (सीआरजेड) क्लीयरेंस प्राप्त हो गई है।	पर्यावरण मंजूरी, ईआईए अध्ययन, बेसलाइन डाटा आदि का संग्रह पूरा किया जा चुका है। क्रैकर कॉम्प्लेक्स का स्थान, कनफिगरेशन और क्षमता के आधार पर एक बार मास्टर प्लान पूरा हो जाने पर लोक सुनवाई आयोजित की जाएगी और पर्यावरणीय क्लीयरेंस के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से टीओआर प्राप्त हो गया है। ईआईए अध्ययन किया जा रहा है।	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद शुरू किया जाएगा।

***परियोजनाओं के अनुमोदन के स्तर पर**

#आंकड़े 18.12.2018 की स्थिति के अनुसार

पीसीपीआईआर क्रियान्वयन की सथिति

4.12 गुजरात पीसीपीआईआर

- गुजरात पीसीपीआईआर को गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र (जीएसआईआर) अधिनियम, 2009 के अधीन अधिसूचित किया गया है। यह दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पूर्व और भारत की पश्चिमी तटरेखा के निकट रणनीतिक रूप से अवस्थित है।
- गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (जीआईडीसी) ने पीसीपीआईआर में अवसंरचना के विकास के लिए लगभग 16,959 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
- एंकर टीनेंट यथा मेसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपल) ने परियोजना पर लगभग 27,700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। परियोजना मार्च, 2017 के प्रथम सप्ताह में शुरू हो गई है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14.09.2017 को गुजरात पीसीपीआईआर के विकास हेतु 44445.18 हेक्टेयर को पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र जोन (सीआरजेड) क्लीयरेंस प्रदान की है। पर्यावरणए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण एवं तटीय क्षेत्र जोन क्लीयरेंश मिल चुकी है।

4.13 आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर (18.12.2018 की स्थिति के अनुसार आंकड़े)

- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मई, 2008 में पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन के लिए विशेष विकास प्राधिकरण (एसडीए) का गठन किया गया था।
- आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में 6 मौजूदा एसईजेड शामिल हैं। आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में लगभग 46729.38 करोड़ रुपए का कमिटेड निवेश है। अवसंरचना विकास पर लगभग 1919.13 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और गेल ने पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन कर लिया है। वायबिलिटी गैप फंडिंग और अन्य सहायता/प्रोत्साहन राशि के विषय में आंध्र प्रदेश सरकार और मैसर्स एचपीसीएल एवं गेल के बीच बातचीत चल रही है।
- सड़क, रेल संपर्क, जलापूर्ति, दूषित जल शोधन एवं समुद्री आउटफाल परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।

4.14 ओडिशा पीसीपीआईआर

- पीसीपीआईआर प्राधिकरण द्वारा पीसीपीआईआर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ ओडिशा (आइडीसीओ) ने क्षेत्र के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता का चयन किया है। विस्तृत मास्टर प्लान का प्रारूप पहले ही पूर्ण हो चुका है।
- इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन की पारादीप में 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी को फरवरी, 2016 में शुरू किया गया था। आईओसीएल 730 केटीए पोलीप्रोपाइलीन इकाई स्थापित कर करेगा, जिसे उसी पीसीपीआईआर लोकेशन में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क में उपयोग में लाया जा सकता है। आईओसीएल ने पारादीप पीसीपीआईआर में समयबद्ध और किफायती तरीके से कच्चे माल की उपलब्धता के लिए मोनो इथाइलीन–ग्लाइकॉल, पैरेक्सिलीन–पीटीए और पेटकोक गैसीकरण यूनिट की स्थापना की भी योजना बनाई है।
- पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) हैदराबाद द्वारा विस्तृत ईआईए संबंधी कार्य किया जा रहा है। यह अध्ययन विस्थापन की वास्तविक संख्या निश्चित करेगा। तदनुसार, ओडिशा पुनरूस्थापन और पुनर्वास नीति, 2006 के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विचाराधीन विषय प्राप्त हो चुके हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर परामर्शदाता द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

4.15 तमिलनाडु पीसीपीआईआर

- प्रबंधन बोर्ड के गठन हेतु दिनांक 15.02.2018 को तमिलनाडु सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
- तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के अन्तर्गत कुड्डालोर और नागपट्टनम जिलों में 246.90 वर्ग किमी. क्षेत्र को पीसीपीआईआर के रूप में जनवरी, 2016 में अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने दिनांक 20.06.2017 के आदेश द्वारा तमिलनाडु टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के तहत पीसीपीआईआर को एक स्थानीय नियोजन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।
- तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित एंकर टीनेंट के पुनरूत्थान/इस स्थान पर लगाए जाने वाली नई परियोजना की प्रतीक्षा कर रहा है।
- तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात मास्टर प्लान तैयार करने और पर्यावरणीय अध्ययन संबंधी क्रियाकलाप शुरू किए जाएंगे।

4.16 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के लिए पीसीपीआईआर परियोजनाएं

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2024–25 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) बनाने के लिए कार्य बल का गठन किया है। कार्यबल के पास तकनीकी रूप से सुगम एव वित्तीय/आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक अधिदेश है जिन्हें वित्त वर्ष 2019–20 से आगे शुरू किया जा सकता है। तदनुसारए सभी 4 पीसीपीआईआर को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं पर सूचना अपने निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ओडिशा और गुजरात राज्यों से प्राप्त परियोजना सूचना इस प्रकार हैः

1. ओडिशा पीसीपीआईआर ने एनआईपी में शामिल की जाने वाली 14 परियोजनाओं के लिए सूचना प्रस्तुत की है। इन 14 परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 1,8,843 करोड़ रुपये है और इसमें सड़क, विमान पत्तन, जल आपूति, बिजली आपूर्ति आदि क्षेत्र शामिल हैं।

2. गुजरात पीसीपीआईआर ने एनआईपी में शामिल की जाने वाली 05 परियोजनाओं के लिए सूचना प्रस्तुत की है। इन 05 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 3758 करोड़ रुपए है और इसमें सड़क, पुल, जल आपूर्ति, एफ्युलेंट ट्रीटमेंट/निपटान आदि शामिल हैं।

*****

अध्याय – 5

पेट्रोरसायन की नई योजनाएं

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अधीन तीन निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है :

i. पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार
ii. पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना
iii. प्लासटिक पार्कों की स्थापना

पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लासटिक प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार

5.1 विभाग द्वारा पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवोन्मेषणों एवं खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) को योजना के लिए नामांकन का चयन करने और लक्ष्य को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। विभाग इस पुरस्कार योजना को चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष सिपेट को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में रसायन संवर्धन और विकास स्कीम की उप–स्कीम के रूप में यह स्कीम चलाई जा रही है।

5.2 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार, नवोन्मेषण के लिए ऐसे क्षेत्रों जैसे पॉलीमेरिक सामग्री, पॉलीमेरिक उत्पादों, पॉलीमर अपशिष्ट प्रबंधन, पुनः चक्रण प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। 24 जनवरी, 2019 को चेन्नई में आयोजित एक समारोह में, माननीय उपराष्ट्रपति ने 8वें राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कारों में नए पॉलिमरों की छः श्रेणियां, विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिमर के नए अनुप्रयोग, ऊर्जा दक्षता सहित नई पॉलिमर प्रसंस्करण मशीन, पॉलीमर अपशिष्ट प्रबंधन में नवोन्मेषण एवं रिसाइक्लिंग, ग्रीन/बाया–डिग्रेडेबल पॉलिमर, 22 उप–श्रेणियों को शामिल करते हुए पैकेजिंग में नवोन्मेषण शामिल किए गए।

पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना

5.3 इस योजना का लक्ष्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान में सुधार करना तथा पॉलीमर व प्लास्टिक में नए प्रयोग के विकास को संवर्द्धित करना है। 2017 तक कार्यान्वित स्कीम के फेज-I में, भारत सरकार ने 3 वर्षों की अवधि के लिए 6 करोड़ रु. की ऊपरी सीमा के अध्यधीन परियोजना की सकल लागत के अधिकतम 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की। परिवर्तित दिशा–निर्देशों के साथ 2016–17 में स्कीम को बढ़ा कर 2020 तक कर दिया गया जिसका उद्देश्य अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रयोगशाला से उद्योग तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और प्रति सीओई 5 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करना है।

5.4 अब तक प्रतिष्ठित शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों के परिसरों में आठ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्वीकृत और निम्नलिखित विवरणों के अनुसार स्थापित किए गए हैं:–

क्र.सं.	इस संस्थान का नाम जहां उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किया गया है	उत्कृष्टता केंद्र का विषय	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	भारत सरकार से अनुमोदित सहायता अनुदान (करोड़ रु.में)
1.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	अनुसंधान और नवाचार के लिए सतत पॉलिमर उद्योग	12.00	6.00
2.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई	ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ग्रीट)	18.98	6.00
3.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	सतत हरी सामग्री	15.045	6.00
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,दिल्ली	उन्नत पॉलिमर सामग्री	12.00	6.00
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	सस्टेनेबल पोलीमेर्स (सुस–पोल)	14.74	6.00
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	प्रक्रिया विकास, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अपशिष्ट जन प्रबंधन	13.13	4.40
7.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	बायो–इंजीनियर सस्टेनेबल पॉलिमर सिस्टम	10.01	5.00
8.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	अनुकूलित, एडीटिव विनिर्माण के लिए विशिष्ट पॉलिमर	5.60	2.80

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

5.5 इस योजना का लक्ष्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित एवं एकीकृत करने के लिए क्लस्टर विकास एप्रोच के माध्यम से अत्याधुनिक अवसंरचना एवं सहायक समान सुविधाओं वाले एक इको–सिस्टम के रूप में आवश्यकता–आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना करना है। इस योजना का वृहद लक्ष्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ा कर एवं रोजगार भी सृजित कर अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।

5.6 भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपए की सीमा तक परियेाजना लागत के 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण राज्य सरकार या

राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जाता है।

5.7 इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश (दो), ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु और असम राज्यों में 6 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं। ये पार्क कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्लास्टिक पार्क की अवस्थिति	अंतिम अनुमोदन	भू क्षेत्र (एकड़)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	परियोजना के लिए अनुमोदित कुल सहायता अनुदान (करोड़ रुपये)
तमोट, मध्य प्रदेश	09.10.2013	122	108.00	40.00
जगतसिंहपुर, ओडिशा	09.10.2013	120	106.78	40.00
तिनसुकिया, असम	21.02.2014	173	93.65	40.00
देवघर, झारखंड	20.12.2018	93	67.33	33.67
बिलाउ, मध्य प्रदेश	20.12.2018	93	68.72	34.36
तिरुवल्लुर, तमिलनाडु	05.09.2019	257	216.92	40.00

*****

अध्याय – 6

अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां

रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

6.1 भारत, रासायनिक आयुध निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू), जिसका मुख्यालय दि हेग, नीदरलैंड में है, के रासायनिक आयुध अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) का पक्षकार एवं हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह समझौता सार्वभौमिक, गैर–भेदभावपूर्ण, बहु–पक्षीय, निशस्त्रीकरण समझौता है, जो दुनिया को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने की दिशा में रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण एवं उपयोग को रोकता है तथा उनके उन्मूलन की निगरानी करता है। भारत ने 14 जनवरी, 1993 को इस समझौते पर पेरिस में हस्ताक्षर किए। भारत ने इस अभिसमय के प्रावधानों के अनुसरण में रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया। आज की स्थिति के अनुसार, 193 देश इस अभिसमय के पक्षकार देश हैं। भारत अपने रासायनिक हथियारों के समस्त भंडारण को नष्ट करते हुए इस अभिसमय के पक्षकार सभी देशों के बीच रासायनिक आयुध मुक्त देश का दर्जा हासिल करने वाला पहला पक्षकार देश बना।

रॉटरडैम अभिसमय

6.2 पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया (पीआईसी) पर रॉटरडैम अभिसमय, 24 फरवरी, 2004 से लागू हुआ, जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी इंस्ट्रूमेंट है, और इसे रॉटरडैम में प्लेनिपोटेनटरिज सम्मेलन में 10 सितम्बर, 1998 को अपनाया गया। भारत ने 24.5.2006 को इस अभिसमय को स्वीकार किया।

6.3 इस अभिसमय का लक्ष्य संभावित खतरे से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ खतरनाक रसायनों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पक्षकार देशों के बीच साझा उत्तरदायित्व एवं सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य पक्षकारों के बीचए उनकी विशिष्टताओं के विषय में सूचना के आदान–प्रदान में सहायता प्रदान करए उनके आयात एवं निर्यात पर एक राष्ट्रीय निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान कर और उन्हें इन निर्णयों से अवगत कराते हुए, इन खतरनाक रसायनों के पर्यावरण की दृष्टि से सही उपयोग में योगदान करना भी है।

6.4 प्रत्येक पक्षकार को अभिसमय के अधीन आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण को नामित करने की आवश्यकता होती है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, औद्योगिक रसायनों के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण (डीएनए) है और कृषि एवं सहकारिता विभाग, कीटनाशकों के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

6.5 35 कीटनाशकों (3 अत्यंत खतरनाक कीटनाशक फार्मुलेशनों सहित), 16 औद्योगिक रसायनों और कीटनाशक एवं औद्योगिक रसायन श्रेणियों, दोनों में 1 रसायन सहित, समझौते के अनुबंध-III में कुल 52 रसायन सूचीबद्ध हैं। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीआईसी सचिवालय को इन रसायनों से संबंधित अपनी आयात नीति की जानकारी दें। निर्यातक पक्ष को आयातक देश में प्रतिबंधित और सख्त रोक वाले रसायनों के संबंध में आयातक पक्ष को निर्यात अधिसूचना प्रदान करनी पड़ती है। औद्योगिक रसायनों के लिए अन्य पक्षों से प्राप्त निर्यात अधिसूचनाओं की रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा, जो औद्योगिक रसायनों के लिए डीएनए है, जांच की जाती है और निर्यातक देश के डीएन, को पावती/उत्तर भेजा जाता है।

स्टॉकहोम अभिसमय

6.6 स्टॉकहोम अभिसमय, जिसकी भारत द्वारा 13.01.2006 को अभिपुष्टि की गई, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। पीओपी ऐसे रसायन हैं, जो लम्बी अवधि के लिए पर्यावरण में अक्षुण्ण रहते हैं, भौगोलिक रूप से बड़े हिस्से में फैल जाते हैं, जीवों के वसायुक्त टिश्यू में जमा हो जाते हैं और मनुष्यों तथा वन्य जीवों के लिए जहरीले होते हैं। पीओपी विश्व भर में फैल सकते हैं और ये जहां कहीं भी जाएगें, नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिनांक 17 मई, 2004 को लागू होने वाले इस अभिसमय में यह निर्धारित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में सरकारें पर्यावरण में पीओपी के प्रवेश में कमी लाने अथवा उसे रोकने हेतु उपाय करेंगी।

6.7 स्टॉकहोम अभिसमय का उद्देश्य इरादतन सभी प्रकार के उत्पादित पीओपी (औद्योगिक रसायनों और कीटनाशकों) के उत्पादन एवं उपयोग को रोकना अथवा प्रतिबंधित करना है। अभिसमय का उद्देश्य डायोक्सिन और फुरांस जैसे गैर–इरादतन उत्पादित पीओपी के पर्यावरण में छोड़े जाने वाली मात्रा में कमी जारी रखने और जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, अंततः उसे रोकना भी है। वर्तमान में स्टॉकहोम अभिसमय में 33 रसायन शामिल हैं, जिसमें से भारत में डीडीटी का प्रयोग प्रतिबंधित है। कृषि संबंधी उद्देश्य से डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है, इसका उत्पादन सीमित तौर पर सिर्फ वेक्टर नियंत्रण के लिए किया जाता है क्योंकि भारत ने वेक्टर नियंत्रण के लिए डीडीटी के प्रयोग हेतु छूट ले रखी है।

6.8 पीओपी वाले कचरे और उसके भंडारण का प्रबंधन एवं निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों, मानकों और दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण–अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। अभिसमय के अंतर्गत प्रत्येक देश से अपने कर्त्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु एक योजना तैयार करने की अपेक्षा की गई है। अभिसमय के क्रियान्वयन में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए एक अंतरिम वित्तीय प्रणाली के रूप में एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की स्थापना की गई है।

*****

अध्याय – 7

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी

7.1 दिनांक 2/3 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल) की पेस्टिसाइड यूनिट के दो टैंकों में रखी हुई मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) नामक एक घातक गैस के वातावरण में रिसने के परिणामस्वरूप ऐसी भयानक औद्योगिक आपदा हुई जो परिमाण में अतुलनीय थी और इसके कारण भोपाल शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए तत्काल हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के तत्काल बाद विभिन्न राहत और पुनर्वास उपाय किए गए और ये अभी भी जारी हैं।

7.2 क्षतिपूर्ति और नुकसान के लिए भारत के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अभियोजन भी शुरू किया गया था। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के नाम का एक अधिनियम बनाया। अधिनियम 20 फरवरी, 1985 से लागू हुआ। इसने भारत सरकार को गैस आपदा से उठने वाले दावों के संबंध में सभी मुकदमों को अपने नियंत्रण में लेने और पीड़ित और प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत, पंजीकरण, प्रसंस्करण, प्रत्येक दावे और अपीलों, यदि कोई किया जाता है, के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसे भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार द्वारा गैस पीड़ित को गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों और पीड़ित परिवारों को त्वरित निर्णय और मुआवजा देने के लिए कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित स्थापित किया गया था।

7.3 बीजीएलडी के कारण हुई मानवीय पीड़ा की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 और 15 फरवरी, 1989 को समझौता आदेश पारित कर दिया जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसे कंपनी द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास फरवरी, 1989 में जमा करा दिया गया था।

7.4 मुआवजों के संवितरण की वास्तविक प्रक्रिया वर्ष 1992 में आरंभ हुई। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने मृत्य, स्थायी अपंगता, अस्थायी अपंगता, अत्यंत गंभीर चोटें, कम गंभीर चोट, सम्पत्ति का नुकसान/पीएसयू एवं पशुधन की हानि जैसी श्रेणियों में 5,74,393 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1549.32 करोड़ रुपए बांटे/संवितरित किए।

7.5 सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई, 2004 के आदेश के तहत कल्याण आयुक्त को लगभग 1500 करोड़ रुपए की वह शेष राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज संचय और विनिमय दर में विचलन से संग्रहीत हो गई है, को यथानुपात रूप से (मूल मुआवजा के 1:1 के अनुपात में) उन व्यक्तियों को संवितरित करने का निर्देश दिया, जिनके मामलों का निपटारा हो चुका था। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य नवंबर, 2004 से शुरू किया गया। मार्च, 2019 तक यथानुपात मुआवजे के आधार पर 5,63,113 मामलों में 1517.84 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। यथानुपात मुआवजे के संवितरण का कार्य जारी है।

7.6 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर, सरकार ने गैस पीड़ितों को और राहत एवं पुनर्वास देने के लिए कतिपय निर्णय लिए। सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित श्रेणियों में अनुग्रह राशि के भुगतान का है:–

गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतानों की श्रेणियां

श्रेणी	अनुग्रह राशि
मृत्यु	10 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता	5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अत्यंत गंभीर चोटें	5 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
कैंसर	2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
पूरी तरह किडनी खराब	2 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता	1 लाख रुपए (पूर्व में प्राप्त राशि को घटाकर)

7.7 सरकार द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के गैस पीड़ितों के बीच अनुग्रह राशि के संवितरण के लिए 874.28 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने 19.12.2010 को गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना शुरू किया है। दिसंबर, 2019 तक 61,373 मामलों में निर्णय लिया गया और इन मामलों में 832,78 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई है। स्थायी आंशिक विकलांगता के तहत 170 अतिरिक्त मामलों में 6.80 करोड़ रुपये के वितरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 1 अक्टूबर, 2019 को विभाग द्वारा दी गई है।

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास (कार्य योजना)

7.8 केन्द्र सरकार द्वारा गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहतए पुनर्वास और वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 1985 से 1989 तक 102 करोड़ रु. मंजूर किए गए।

7.9 वर्ष 1990 में केन्द्र सरकार ने गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक 5 वर्षीय कार्य योजना को अनुमोदित किया। इस परिव्यय को बाद में बढ़ाकर 258 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस परिव्यय को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किए जाने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया था। कार्य योजना को 1990 से 1999 तक कार्यान्वित किया गया। इसमें गैस पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण शामिल था। इस अनुमोदित योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 309.53 करोड़ रु. की राशि खर्च की। कार्य योजना का प्रमुख घटक चिकित्सीय पुनर्वास थाए जिसमें गैस पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए 6 पूर्णतरू संसाधन युक्त गैस राहत अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों की स्थापना करना शामिल था।

7.10 इसके अलावाए यूसीआईएल संयत्र स्थल के आसपास के 14 इलाकों में जहां का भूजल पीने योग्य नहीं है, पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए अप्रैल, 2006 में भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन 14.18 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।

7.11 मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीडितों के लिए किए जाने वाले विभिन्न पुनर्वास उपायों के लिए 982.75 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक कार्य योजना पर एक नया ज्ञापन मंत्री समूह (जीओएम) को अप्रैल, 2008 में प्रस्तुत किया था। सरकार ने मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर भोपाल गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास हेतु नई कार्य योजनाए 2010 के क्रियान्वयन के लिए 75:25 के अनुपात में केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हिस्सेदारी के रूप में 272.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 08.07.2010 को मध्य प्रदेश सरकार को राज्य की वार्षिक योजना 2010–11 हेतु अन्य परियोजनाओं (अनुदान घटक) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के भुगतान के रूप में 272.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

7.12 मध्य प्रदेश सरकार नई कार्य योजना, 2010 के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि आवंटित 272.75 करोड़ रुपए में से 130.29 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

सामाजिक पुनर्वास

7.13 गैस पीड़ितों की अनुमानित 5,000 विधवाओं को पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाना है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। 4,995 लाभार्थियों को विधवा पेंशन के रूप में 25.43 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है।

7.14 यूसीआईएल फैक्ट्री के आस–पास रहने वाले गैस पीड़ितों के आश्रिता/परिवारों के लिए घरों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है क्योंकि यूसीआईएल के विषैले रसायनों के कारण पानी के दूषित होने की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार, सारी बस्ती को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना था और बस्ती के निवासियों को मकान दिए जाने थे। मध्य प्रदेश सरकार ने अब पाइपलाइन द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया है, इसलिए यूसीआईएल फैक्ट्री के आस–पास रहने वाले निवासियों को स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)'' आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उन 2,500 भोपाल गैस पीड़ितों, जिनके पास रहने के पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें सामाजिक पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए 39.36 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि में से 25 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव किया। स्कीम को कार्यानवित करने के लिए विभाग द्वारा इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

चिकित्सा पुनर्वास

7.15 गैस राहत अस्पतालों के लिए अधिकांश आवश्यक उपकरण खरीद लिए गए हैं, लगा दिए गए हैं और वे काम कर रहे हैं। अस्पताल भवनों के निर्माण और नवीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 272.75 करोड़ रु. में से 33.55 करोड़ रु. की राशि चिकित्सा पुनर्वास के लिए आबंटित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 16.32 करोड़ रु की राशि का उपयोग कर लिया था और चिकित्सा पुर्नवास के तहत कुछ नए कार्यों जैसे कमला नेहरू अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट केंद्र के निर्माण एवं उपकरणों की खरीद, इंदिरा गांधी महिला एवं

बाल अस्पताल, खान शाकिर अली खान अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, भोपाल और कमला नेहरू अस्पताल नामक चार अस्पतालों हेतु माडुलर ओटी टेबलों के लिए सिविल कार्य के नवीकरण के निष्पादन के लिए 17.23 करोड़ रुपए के अव्ययित शेष राशि का उपयोग करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन मांगा। यह अनुमोदन विभाग द्वारा 2018–19 में मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया गया।

आर्थिक पुनर्वास

7.16 मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार अवसर के साथ उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 21 संस्थानों का चयन किया है। राज्य सरकार ने 12355 गैस पीड़ितों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया है। शुरुआत में यह कार्यक्रम सफल था, लेकिन बाद में इसमें अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सका। इस योजना के आकर्षक नहीं होने के कारण,मध्य प्रदेश सरकार ने ''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना'' (चीफ मिनिस्टर सेल्फ इंप्लॉयमेंट स्कीम) जिसमें उचित/सही प्रशिक्षण के घटक के लिए 1.00 करोड़ रु. शामिल हैं, के अंतर्गत गैस पीड़ितों के लाभार्थियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत 85.87 करोड़ रु की अव्ययित राशि में से 25.12 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को विभाग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया।

पर्यावरण–अनुकूल पुनर्वास

7.17 गैस पीडितों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए आबंटित 50 करोड़ रुपए में से मध्य प्रदेश सरकार ने गैस प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने से संबंधित पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।

पूर्व यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. (यूसीआईएल) संयंत्र स्थल का पर्यावरणीय उपचारण

7.18 वर्ष 2010 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार यूसीआईएल के भोपाल स्थित तत्कालीन संयंत्र के खतरनाक अपशिष्ट के निपटान और उपचारण करने के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार को मॉनीटरिंग और सहयोग प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत संघ बनाम आलोक प्रताप सिंह एवं अन्य के 2012 की एसएलपी (सिविल) संख्या 9874 के मामले में यूसीआईएल अपशिष्ट के निपटान के मामले से पूर्णतया अवगत है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार पूर्व यूसीआईएल के 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 13 से 18 अगस्त, 2015 के दौरान पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भट्टी में सफलतापूर्वक दहन कर दिया गया।

7.19 यूसीआईएल कारखाना स्थलए भोपाल में पड़े हुए शेष 337 मीट्रिक टन (लगभग) खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तकनीकी मामलों में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार यूसीआईएल परिसरों में पड़े शेष विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

उपचारात्मक याचिका

7.20 मंत्रिमंडल के निर्देश पर भारत संघ द्वारा दिसंबर, 2010 में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी), यूएसए, डॉव केमिकल्स, यूएस, एवं अन्य के विरुद्ध एक उपचारात्मक याचिका सं. 345–347 दायर की गई थी, जिसमें 470 मिलियन यूएस डॉलर की मुआवजा राशि निर्धारित करने संबंधी न्यायालय के वर्ष 1989 के पूर्व फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए यूसीसी और/अथवा यूसीसी की उत्तरवर्ती कंपनियों से बढ़े हुए मुआवजे के दावे की मांग की गई। उपचारात्मक याचिका में जिस मुआवजा राशि का दावा किया गया, वह वर्ष 1989 में इसके निपटारे हेतु आदेश पारित करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों की संख्या के अनुमान और उन मामलों की वास्तविक संख्या के बीच अंतर के कारण है, जिनमें कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीडित, भोपाल द्वारा मुआवजा प्रदान किया जा चुका है। याचिका में पीड़ितों के लिए विभिन्न पुनर्वास उपायों हेतु भारत सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और पर्यावरण उपचारण के लिए अपेक्षित राशि के संवितरण का दावा भी किया गया है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

*****

अध्याय–8

रसायन एवं पेट्रोरसायन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं व्यापार आसूचना

अनिवार्य मानक

8.1 घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित रसायनों एवं पेट्रोरसायनों में अशुद्धियां हो सकती हैं और ये मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकते हैं। प्रयोग में लाए जाने पर ये उत्पाद बीआईएस मानकों में विहित उन तकनीकी विशेषताओं को पूरा नहीं करते हों जो वर्तमान में स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि देश में उत्पादित रसायनों/पेट्रोरसायनों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ–साथ आयातित रसायनों की भी निगरानी की जाए। इस उद्देश्य के साथ, विभाग ने रसायनों/पेट्रोरसायनों के मानकों को अनिवार्य बनाने का काम शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश को ऐसे रसायनों के निर्यातक और घरेलू निर्माता दोनों ही बीआईएस गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करें। ऐसे रसायनों पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह होगा। इस तंत्र से इन उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी क्योंकि कुछ देश घटिया गुणवत्ता वाले और खराब रसायन/पेट्रोरसायन देश में खपा देते हैं जो वर्तमान में बीआईएस मानकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

8.2 इसलिए इस विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत सार्वजनिक हित में निम्नलिखित बातों के लिए मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं:

(i) मानव, पशु या वनस्पति स्वास्थ्य की सुरक्षा
(ii) पर्यावरण की रक्षा
(iii) अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम
(iv) राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा

8.3 इन उपायों के कारण विनिर्माताओं और आयातकों को बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाता है। अनिवार्य मानकों के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त रसायनों के विनिर्माताओं को बीआईएस मानकों के अनुरूप होना चाहिए और बीआईएस से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह होना चाहिए। इसमें कोई भी आयातित सामग्री शामिल है, जिसके लिए विदेश में रहने वाले निर्यातक को विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम (एफएमसीएस) के तहत बीआईएस लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है।

8.4 अब तक विभाग ने 5 रसायनों अर्थात कास्टिक सोडा, एनिलीन, एसिटिक एसिड, मेथनॉल और पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए बीआईएस मानक बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है और बहुत से रसायनों और पेट्रोरसायनों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।

रसायन विनियम

8.5 विभाग ने रसायनों के प्रभाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रसायन (प्रबंधन एवं सुरक्षा) नियम बनाने का काम शुरू किया है। यह उम्मीद की जाती है कि इस विनियम के पूर्ण कार्यान्वयन से रसायन विनिर्माण, परिवहन, उपयोग और निपटान में हरित और सुरक्षित कैमिस्ट्री में नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू रसायन उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इन रसायन सुरक्षा नियमों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बनाया जाना प्रस्तावित है। ये नियम अधिसूचना, पंजीकरण और तत्वों पर प्रतिबंध, भारतीय क्षेत्र में लाए गए मिश्रण और मध्यवर्तियों के लिए होंगे।

बेहतर व्यापार आसूचना

8.6 विश्व कस्टम संगठन के अनुसार, वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आईटीसी एचएस वर्गीकरण के तहत अनुवीक्षण किया जाता है। 'अन्य' के तहत विभिन्न अध्यायों में बहुत सी अवशिष्ट प्रविष्टियाँ हैं। मात्रा और मूल्य की दृष्टि से 'अन्य' वर्ग के तहत आयात बहुत ज्यादा है। इसलिए से 'अन्य' के तहत आने वाले रसायनों और पेट्रोरसायनों के विशिष्ट नामों को जानने के लिए, बहुत से रसायन और पेट्रोरसायन उत्पादों को नए एचएस कोड प्रदान करना अति आवश्यक है। रसायन और पेट्रोरसायन विशेष से संबंधित लगभग 2500 टैरिफ लाइनें हैं, और अन्य से संबंधित लगभग 500 टैरिफ लाइनें हैं। बेहतर व्यापार आसूचना के लिए उच्च व्यापार मूल्य वाले सभी रसायनों और पेट्रोरसायनों को अलग से एचएस कोड दिए जाने हैं। अब तक विभाग ने नए एचएस कोडों के सृजन के लिए 106 रसायनों और पेट्रोरसायनों की सिफारिश की है।

*****

अध्याय–9

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

असम गैस क्रैकर परियोजना (ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड)

9.1 असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) केंद्र सरकार तथा अखिल असम छात्र यूनियन (आसु) और अखिल असम गण संग्राम परिषद (एएजीपी) के बीच 15 अगस्त, 1985 को समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में शुरू की गई थी। परियोजना का असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए आर्थिक महत्व है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 18 अप्रैल, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में 5460–61 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था। परियोजना को क्रियानवित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) का गठन किया गया था। विभिन्न कारणों से परियोजना के समय और लागत में वृद्धि देखी गई। 16 नवंबर, 2011 को जुलाई, 2013 तक यांत्रिक समापन और दिसंबर, 2013 तक शुरुआत होने के साथ आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4690 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी सहित 8920 करोड़ रु. (''यथा निर्मित आधार'' पर) के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई–I) का अनुमोदन कर दिया गया। पुनः समय और लागत में और वृद्धि होने के कारण पहले अनुमोदित 8920 करोड़ रुपए (आरसीई–I) की तुलना में दिसंबर, 2015 तक परियोजना शुरू होने की संशोधित समय.सीमा के साथ माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) द्वारा जुलाई 2016 में यथा अनुमोदित संशोधित लागत अनुमान–II (आरसीई–II) 9965 करोड़ रु. था जिसमें 5,239.45 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी 3,307.88 करोड़ रुपये का ऋण और 1417.67 करोड़ रु. की इक्विटी शामिल थी। परियोजना लागत में 1045 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वृद्धि का वित्तपोषण 549.45 करोड़ रुपये की पूंजीगत सबसिडी, 148.67 करोड़ रु. की इक्विटी और 346.88 करोड़ रु. के ऋण द्वारा किया जाना है। 5239.45 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत सब्सिडी में से नवंबर, 2019 तक 5,090 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं। 2019–20 के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगों में शेष पूंजीगत सब्सिडी की मांग की गई है।

9.2 इस परियोजना को 2 जनवरी, 2016 को प्रारंभ कर दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 5 फरवरी, 2016 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2019–20 में नवंबर, 2019 तक संयंत्र 100% से अधिक क्षमता पर प्रचालित हो रहा है।

9.3 हाल ही में, का.ज्ञा.सं. 45012/10/2014/पीसी–I, दिनांक 01.01.2020 के तहत सीसीई, के अनुमोदन के अनुसार बीसीपीएल का प्रशासनिक नियंत्रण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

9.4 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को विनिगमित किया गया था, जिनकी आवश्यकता रंजक, रंजक–मध्यवर्तियों, रबर रसायनों, कीटनाशकों, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन में होती है। कंपनी की दो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में सथित हैं। रसायनी यूनिट (रसायन परिसर) ने वर्ष 1970–71 से उत्पादन शुरू किया था और कोच्चि यूनिट (फिनॉल कॉम्प्लेक्स) ने वर्ष 1987–88 से उत्पादन करना प्रारंभ किया था। कोचचि यूनिट में फिनाल, एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विनिर्माण करने वाले संयंत्र हैं। एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा 17.05.2017 को अनुमोदित किया गया था, के कार्यान्वयन के बाद रसायनी यूनिट में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कनसनट्रेटिड नाइट्रिक एसिड (सीएनए)/डाई नाइट्रोजन टट्रोक्साइड (N_2O_4) संयंत्र जिसे अंतरिक्ष विभाग/इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है, को छोड़कर सभी संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। सीएनए/N_2O_4 संयंत्र, भारत में N_2O_4 के उत्पादन की एकमात्र सुविधा है, जिसका उपयोग इसरो द्वारा अपने रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में किया जाता है। एचओसीएल की एक सहायक कंपनी मैसर्स हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), रुद्रराम, तेलंगाना में स्थित है, जिससे संबंधित ब्यौरा इस अध्याय में आगे दिया गया है।

9.5 एचओसीएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 370 करोड़ रुपए और 337.27 करोड़ रुपए (67.27 करोड़ रुपए की इक्विटी और 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयर शामिल हैं) हैं। भारत सरकार के पास कंपनी की इक्विटी के 58.78% और सारे वरीयता शेयर हैं। एचओसीएल बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

9.6 1990 के शुरू में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण, वर्ष 1997–98 में पहली बार एचओसीएल घाटे में गई। लगातार हानि होने के कारण वर्ष 2003–04 तक कंपनी का नेट वर्थ नकारात्मक हो गया और उसे फरवरी, 2005 में पूर्व औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसइ) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 09.03.2006 को कंपनी के लिए एक पुनःद्धार पैकेज को अनुमोदित किया जिसमें, (i) उच्च ब्याज के बांडों, बैंक ऋणों के पुनः भुगतान और वीआरएस को लागू करने के लिए वरीयता शेयर पूंजी (संचयी) के द्वारा 270 करोड़ रुपए के नकद निषेचन और (ii) 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 100 करोड़ रुपए की भारत सरकार की गारंटी को जारी रखना जिसका उपयोग अधिक ऋण को चुकाने के लिए किया जाना है, शामिल थे। पैकेज के क्रियान्वयन के बाद, वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान कंपनी को लाभ हुआ और वह बीआईएफआर से बाहर हो गई।

9.7 तथापि, वैश्विक मंदी के प्रभाव के परिणामस्वरूप, बाजार में मुख्य रूप से मंदी का रुख कायम रहने के कारण, वर्ष 2008–09 और वर्ष 2009–10 में कंपनी को पुनः हानि हुई। हालांकि वर्ष 2010–2011 के दौरान इसने लाभ अर्जित किया, किंतु इसके बाद स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गई और इसके मुख्य उत्पादों, फिनॉल और एसीटोन पर एंटी–डंपिंग शुल्क को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान कंपनी को फिर हानि हो गई। सरकार ने कंपनी को लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं से उबरने में समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार को जारी किए गए 270 करोड़ रुपए के वरीयता शेयरों

के रीडेम्पशन के स्थगन को दिनांक 1 अगस्त, 2013 को अनुमोदित किया (आवंटन तिथि 24.01.2008) जो वर्ष 2011–12 से वर्ष 2012–16 तक रीडेम्पशन के लिए देय था। 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को अगस्त, 2017 तक आगे बढ़ा दिया गया।

9.8 इसके अलावा, एचओसीएल को अपनी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों की बकाया राशि आदि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने हेतु कंपनी द्वारा बांड जारी किए जाने के लिए जुलाई, 2014 में 150 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी दी गई थी। इससे कंपनी अपनी कोच्चि यूनिट और रसायनी यूनिट में उत्पादन कार्यों को पुनरू बहाल करने में समर्थ हो सकी। तथापि, उस समय पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वैश्विक गिरावट के कारण फिनॉल और एसीटोन के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई और कंपनी ने लाभप्रद दरों पर अपने उत्पादों को बेचने और पर्याप्त कार्यचालन पूंजी पैदा करने में कठिनाईयों का सामना किया। इससे कोचचि और रसायनी, दोनों यूनिटों में कार्य प्रचालन में बार–बार रुकावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का वित्तीय संकट और गहरा गया। लगातार घाटे और कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण कंपनी फरवरी, 2015 से 2017 तक अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं सांविधिक देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रही है। एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना (नीचे पैरा 9.11 का संदर्भ लें) कार्यान्वित करने से रसायनी यूनिट में संयंत्र प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। कोच्चि में फिनॉल/एसीटोन संयंत्र जुलाई, 2017 से फिर शुरू हो गया और उसके बाद से इसे नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन

9,9 गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में एचओसीएल का वित्तीय प्रदर्शन और 31. 03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कारोबार (सकल)	शुद्ध लाभ/हानि
2014–15	167.19	(215.49)
2015–16	120.79	(173.91)
2016–17	158.21	(255.57)
2017–18	242.33	(203.45)
2018–19	471.99*	50.11
	31.03.2019 को निवल मूल्य (नए आईएनडी एएस लेखा पद्धति के अनुसार जिसमें भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है): (+)105.88 करोड़ रु. 31.03.2018 को कंपनी अधिनियम के अनुसार निवल मूल्य यभूमि और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर): (–)958.07 करोड़ रु.	

* रसायनी यूनिट की परिसंपततियों की बिक्री, एक्सेस प्रावधानों के उत्क्रमण आदि से प्राप्त 115.71 करोड़ रु. की गैर–प्रचालनात्मक आय समेत एचओसीएल ने 2018–19 के दौरान 587.70 करोड़ रु. का कुल राजस्व अर्जित किया।

9,10 अनंतिम परिणाम के अनुसार, 2019–20 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान, कंपनी ने 145.19 करोड़ रु. का कारोबार किया और 45.06 करोड़ रु. का नुकसान उठाया। फिनोल और एसीटोन (एचओसीएल के मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले उत्पाद) के भारी आयात/भारत में इन दोनों उत्पादों को खपाने के कारण इनके बिक्री मूल्य में महत्वपूर्ण कमी ने 2019–20 की पहली छमाही के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

एचओसीएल के लिए पुनर्गठन योजना

9.11 भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है जिसमें डी–नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N_2O_4) संयंत्र को छोड़कर, जिसे कि संयंत्र के साथ संबद्ध कर्मचारियों तथा लगभग 20 एकड़ जमीन के साथ 'जैसा है, जहां है के आधार पर इसरो को हस्तांतरित किया जाना है, एचओसीएल की रसायनी इकाई के सभी अलाभकारी संयंत्रों के कार्य संचालन को बंद किए जाने की बात है। N_2O_4 संयंत्र का सामरिक महत्व है, क्योंकि यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों में इसरो द्वारा तरल रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले N_2O_4 का एकमात्र स्वदेशी स्रोत है। पुनर्गठन योजना में 1008.67 करोड़ रु. (नकद) का वित्तीय निहितार्थ है, जिसे आंशिक रूप से रसयानी में स्थित एचओसीएल की 442 एकड़ भूमि को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (618.80 करोड़ रुपये) को बेचकर और शेष राशि भारत सरकार से ब्रिज लोन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग कर्मचारियों के बकाए वेतन और वैधानिक देय राशि के भुगतान तथा 250 करोड़ रुपये के गारंटीकृत बांड को वापस चुकाने और रसायनी यूनिट में स्केलेटल कर्मचारियों के रूप में रखे गए लोगों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस देने पर किया जाएगा। रसायनी इकाई की शेष अभारग्रस्त भूमि एवं अन्य परिसंपततियों को बेचकर कंपनी की अन्य सरकारी देनदारियों के साथ.साथ ब्रिज लोन की राशि का सरकार को भुगतान किया जाना है।

9.12 एचओसीएल की पुनर्गठन योजना (01.11.2019 को) के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार हैः

- रसायनी यूनिट में N_2O_4 संयंत्र को छोड़कर सभी संयंत्र बंद कर दिए गए हैं और बेच दिए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत यूनिट बंद करने का अनुमोदन भी कर दिया गया है।
- 20 एकड़ भूमि और N_2O_4 संयंत्र से जुड़े 131 कर्मचारियों सहित N_2O_4 संयंत्र इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है। संयंत्र पूर्ण रूप से इसरो द्वारा प्रचालित किया जा रहा है।
- रसायनी में बीपीसीएल को बेचे जाने वाली 442 एकड़ भूमि में से 289.69 एकड़ भूमि बेच दी गई है, जिसके लिए एचओसीएल को 401.50 करोड़ रु. (टीडीएस का निवल) प्राप्त हुए हैं।
- 135.81 करोड़ रु. (टीडीएस का निवल) के विचारार्थ रसायनी में बीपीसीएल को अतिरिक्त 242 एकड़ (+/- 10%) की बिक्री के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित भूमि में से 85.27 एकड़ की बिक्री भी पूरी कर ली गई है।
- रसायनी में 250+ एकड़ अभारग्रस्त भूमि के लिए बीपीसीएल ने ईओआई प्रस्तुत किया है किंतु अंतिम प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। चूंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने भी उपर्युक्त भूमि खरीदने में रुचि दिखाई है, एमएमआरडीए द्वारा उनके ईओआई/प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु

मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

- पनवेल भूमि (7.5 एकड़) को 24.4.2019 को ई–नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया थाए किंतु कोई बोली/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। राज्य सरकार से भूमि की बिक्री के लिए एनओसी प्राप्त होने पर एचओसीएल द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- सभी 10 नेस्ले फ्लैटों (मुंबई), बंद संयंत्रों और युटिलिटी ब्लॉकों को एमएसटीसी के माध्यम से सफलतापूर्वक ई–नीलाम कर दिया गया है।
- भवनों/परिसंपत्तियों की बिक्री के साथ, जेएनपीटी टैंक फार्म पर 2 हेक्टेयर की लीज वाली भूमि का जेएनपीटी को हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
- एचओसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए स्केलेटल स्टाफ (7) और पुनर्गठन योजना कार्यान्वित करने के लिए अस्थायी रूप से रोके गए वीआरएस का चयन करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग–अलग कर दिए गए हैं। जिन 23 कर्मचारियों ने वीआरएस का चयन नहीं किया उन्हें कोच्चि इकाई में भेज दिया गया है। रसायनी और कोच्चि दोनों युनिटों के कर्मचारियों के बकाया वेतन और सांविधिक देय निपटा दिए गए हैं।
- 250 करोड़ रुपए की कुल राशि के सरकारी गारंटी वाले दो बॉडों को चुकाने और वरीयता वाली सांविधिक देयराशियों के आंशिक भुगतान के लिए सरकार द्वारा अगस्त–सितंबर, 2017 में जारी 360.26 करोड़ रु. के ब्रिज लोन का एचओसीएल द्वारा उपयोग कर लिया गया है।

9.13 यह देखा जा सकता है कि हालांकि रसायनी इकाई को एचओसीएल के पुनर्गठन योजना के तहत सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है, ऊपर दिए गए पुनर्गठन योजना के अन्य पहलू के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकिए विभिन्न कारणों से रासयनी में एचओसीएल की भारमुक्त भूमि संपत्ति के निपटान में देरी हुई है। अब तक कुल लगभग 684 एकड़ भूमि सरकार द्वारा बीसीपीएल को बिक्री के लिए अनुमोदित की गई है केवल 375 एकड़ की बिक्री और पंजीकरण पूरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बीसीपीएल द्वारा खरीदी गई जमीन की बाड़ लगाने के विरोध और बीपीसीएल को एचओसीएल भूमि बिक्री के संबंध में ग्रामीणों की चिंताओं और मांगों के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित संभागीय आयुक्त, कोंकण के तहत समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण शेष लगभग 309 एकड़ भूमि की बिक्री कानून और व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित हुई है। एचओसीएल की भूमि के निपटान में देरी के मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए विभाग इस विषय को राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से उठा रहा है।

9.14 पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के बाद, कोच्चि इकाई में फिनॉल/एसीटोन संयंत्र का नियमित प्रचालन जुलाई, 2017 से फिर शुरू हो गया और तब से सकारात्मक योगदान के साथ प्रचालित हो रहा है। इससे एचओसीएल कोच्चि इकाई विगत वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 472 करोड़ रु. का निवल कारोबार करने और लगभग 22.47 करोड़ रु. का निवल लाभ कमाने में सक्षम हुई है। एचओसीएल ने जून, 2019 के माह में भारत सरकार के बकाया 13.19 करोड़ रु. (मुख्य) के ऋण का भी पुनर्भुगतान कर दिया है। तथापि, फिनोल और एसीटोन पर वित्त वर्ष 2019–20 के पहले भाग में भारत में इन उत्पादों के भारी आयात/डंपिंग के कारण इनके बिक्री मूल्य में कमी से कंपनी का प्रदर्शन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

9.15 हिन्दुस्तान फ्लोराकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) की एक सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 14.07.1983 को निगमित किया गया था। यह रुद्रराम, जिला संगारेड्डी, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी ने वर्ष 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डि फ्लोरो मीथेन (सीएफएम–22) के उत्पादन का कार्य कर रही है। पीटीएफई का उपयोग बड़े पैमाने पर रासायनिकए यांत्रिकए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों में इसका सामरिक उपयोग किया जाता है। सीएफएम–22 का उपयोग प्रशीतन गैस के रूप में और पीटीएफई के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है।

9.16 एचएफएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 21 करोड़ रुपये और 19.61 करोड़ रुपये है। एचओसीएल (प्रमोटर कंपनी) के पास कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 56.40% हिस्सा है और शेष हिस्सा जनता (39.11%) और आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (4.43%) के पास है। एचएफएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है।

9.17 वर्ष 1987–88 में कार्य प्रारंभ करने के समय से ही एचएफएल को हानि होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) में गिरावट आ गई और वर्ष 1994 में इसे बीआईएफआर को रेफर किया गया। बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.12.2007 को एचएफएल के लिए प्रचालन एजेंसी, मे, आईडीबीआई के अधीन एक पुनरूद्धार पैकेज की मंजूरी दी गई। इस पुनरूद्धार पैकेज की कुल लागत 19.28 करोड़ रुपये थी और इसमें किसी भी सरकारी निधि का निवेश शामिल नहीं था। पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के पश्चात एचएफएल ने वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक आंशिक लाभ हासिल किया। तथापि, कंपनी बीआईएफआर से बाहर नहीं आई क्योंकि इसका निवल मूल्य नकारात्मक रहा। कंपनी को मुख्य रूप से वर्ष 1997 और 2007 के वेतन संशोधन संबंधी बकाया राशि के प्रावधानीकरण और उत्पादों की बिक्री में कमी आने के कारण, वर्ष 2013–14 में पुनः 24.82 करोड़ रुपये की हानि हुई। उसके बाद कंपनी मुख्य रूप से उत्पादों की बिक्री में कमी के कारण वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान घाटे में रहने का सिलसिला जारी है। कंपनी का निवल मूल्य भी (नेट वर्थ) नकारात्मक है।

वित्तीय प्रदर्शन

9.18 गत पांच वर्षों के लिए कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबध में एचएफएल का वित्तीय प्रदर्शन दिनांक और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कारोबार	शुद्ध लाभ/हानि
2014–15	32.75	(3.77)
2015–16	39.63	(11.11)
2016–17	38.06	(6.33)*
2017–18	43.08	(4.82)*
2018–19	45.86	(4.78)*

	31.3.2019 को निवल मूल्य (नेट वर्थ) (आईएनडी एएस के अनुसार, जिसमें भूमि एवं अन्य परिसंपततियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है): (–)43.20 करोड़ रुपए

* नए अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 'आईएनडी एएस' के अनुसार

9,19 अनंतिम अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार, 2019–20 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान, कंपनी ने 18.37 करोड़ रु. का कारोबार किया है और 0.97 करोड़ रु का नुकसान हुआ।

9.20 एचएफएल के पुनरूद्धार और कारोबार में वृद्धि के लिए, कंपनी ने फ्लोरो स्पेशलिटी रसायन के व्यवसाय में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं और पीटीएफई पर निर्भरता कम करने के लिए एकल–उत्पाद से बहु.उत्पाद के क्षेत्र में प्रवेश करने की रणनीति अपनायी है। हालांकि, उत्पादों के व्यावसायिक रूप से अलाभकारी होने के कारण, जिसकी मुख्य वजह संयंत्र का छोटा आकार/क्षमता, पुरानी तकनीक और उच्च ओवरहेड लागत है, एचएफएल रेफ्रिजरेंट के रूप में बाजार में सर्वाधिक मात्रा में एचसीएफसी–22 की बिक्री कर रहा है। बाजार की स्थिति के आधार पर पीटीएफई और पीटीएफई से भरे ग्रेडों की कुछ मात्रा भी बेची जाती है।

एचएफएल को बंद करना और भावी रूपरेखा

9.21 सरकार ने पैरेंट कंपनी एचओसीएल को पूर्ण रूप से इस फर्म से अलग करते हुए दिनांक 27.10.2016 को एचएफएल के रणनीतिक विनिवेश की 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान कर दी है। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपतति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा समय.समय पर जारी दिशा.निर्देशों/निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा रणनीतिक विनिवेश पर आवश्यक कार्रवाई की गई थी। हालांकिए एचएफएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए अप्रैलए 2018 में जारी पीआईएम/ईओआई के उत्तर में प्राप्त केवल एक बिड/ऑफर को देखते हुए फरवरी, 2019 में कंपनी के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

9.22 विभिन्न बैठकों में किए गए विचार–विमर्श के आधार पर सरकार ने एचएफएल संयंत्र स्थल पर इसकी अधिशेष 66.13 एकड़ भूमि (कुल भ–क्षेत्र 126.13 एकड़) की बिक्री आयोजित करने और इससे प्राप्त आय को एचएफएल के कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ई–नीलामी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया था किंतु 23.04.2019 को आयोजित ई.नीलामी में कोई ऑफर/बिड प्राप्त नहीं हुई। बोली प्राप्त न होने के संभावित कारणों की जांच करने के बाद, एचएफएल को संशोधित बोली नियमों और शर्तों के साथ अधिशेष भूमि के नयी ई–नीलामी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें भूमि की बिक्री के लिए एनओसी शामिल है जिसे तेलंगाना सरकार से प्राप्त किया जाएगा। तथापि, कंपनी के एनओसी आवेदन के संदर्भ में, तेलंगाना सरकार ने सूचित किया कि वह कंपनी को भूमि हस्तांतरण करते समय एचएफएल द्वारा दिनांक 22.04.1986 को निष्पादित किए गए पट्टे–सह–बिक्री करार के संगत क्लोज के अनुसार एचएफएल की अधिशेष भूमि को रखना चाहते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए इस विभाग और राज्य सरकार के बीच विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिला प्राधिकारी और एचएफएल इसकी औद्योगिक भूमि का मूल्य निर्धारण करेंगे और उसके बाद, उस मूल्य पर तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम

(टीएसआईआईसी) को भूमि हस्तांतरण की सुगमता पर टीएसआईआईसी और एचएफएल/भारत सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। यदि टीएसआईआईसी भूमि अधिग्रहित करने में रुचि नहीं दिखाती है, तो राज्य सरकार भूमि की बिक्री के लिए एचएफएल को एनओसी देगी। इस संबंध में और आगे की कार्रवाई जारी है।

9.23 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एचएफएल सीएफएम–22/एचसीएफसी-22 का विनिर्माण करता है और इसके अधिकतर भाग को प्रशीतक गैस के रूप में सीधे बेच देता है क्योंकि अलाभकर संयंत्र क्षमता और पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण कंपनी के लिए इसे पीटीएफई में बदलना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, प्रति कैलेंडर वर्ष के लिए एचएफएल का एचसीएफसी–22 नॉन–फीडस्टॉक उत्पादन कोटा केवल लगभग 392 एमटी है जिसे इस विभाग की छूट अनुरोध के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा पिछले 2 वर्ष और चालू वर्ष (2019) के दौरान बढ़ाकर 1100 एमटी कर दिया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अगले कैलेंडर वर्ष (2020) से एचसीएफसी–22 कोटा में और 25% की कमी की जानी है और एचएफएल के लिए आगे और छूट की संभावना नहीं है। 2020 में घटे हुए एचसीएफसी–22 कोटे (केवल 285 एमटी) के साथ, एचएफएल के लिए प्रचालन जारी रखना संभव नहीं होगा और कंपनी संयंत्र को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगी।

9.24 इसलिए, एचएफएल के मौजूदा गैर–लाभप्रद प्रचालनों कों देखते हुए विभाग ने इसे बंद करने का प्रस्ताव चलाया और सरकार/सीसीईए ने 22.01.2020 को एचएफएल के संयंत्र/यूनिट को बंद करने और कंपनी बंद करने का अनुमोदन कर दिया है।

9.25 एचएफएल को बंद करने की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कर्मचारियों (स्केलेटल स्टाफ को छोड़कर) को वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग किया जाएगा, वीआरएस का चयन न करने वाले कर्मचारियों की औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार छंटनी की जाएगी।
- वीआरएस/वीएसएस व्यय सहित कंपनी बंद होने से संबंधित तत्काल देनदारियों और स्केलेटल स्टाफ के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एचएफएल को ब्याज मुक्त 77.20 करोड़ रु. का भारत सरकार का ऋण दिया जाएगा।
- भूमि खरीदने के लिए तेलंगाना सरकार के निर्णय के अध्ययधीन भूमि बिक्री में सहायता हेतु एनबीसीसी की भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्ति।
- ई–नीलामी के माध्यम से संयंत्र/मशीनरी और चल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एमएसटीसी की नियुक्ति।
- 77.20 करोड़ रु. का ऋण और एचएफएल पर भारत सरकार की अन्य देनदारियों को भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से चुकाया जाएगा; अपर्याप्त बिक्री आय के कारण चुकाए ना जाने वाले ऋणों/देयों को बट्टे खाते में डाला जाएगा/माफ किया जाएगा।
- कंपनी बंद करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की अस्थायी समय–सीमा 400 दिन है।

एचएफएल को बंद करने संबंधी सीसीईए के उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

एचआईएल (इंडिया) लि.

9.26 एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) के नाम से जाना जाता है, को भारत सरकार के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए डीडीटी (डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन) के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए 1954 में नई दिल्ली में विनिगमित किया गया था। कंपनी ने 1957 में डीडीटी के विनिर्माण के लिए उद्योगमंडल, केरल में एक फैक्ट्री स्थापित की। एचआईएल ने डीडीटी और मेलाथियान, जो एक कीटनाशक होता है, के विनिर्माण के लिए 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में एक और फैक्ट्री स्थापित की। पूर्ववर्ती दिल्ली फैक्ट्री को शिफ्ट करके उत्पाद फॉर्मूलेशन के लिए 2003 में कंपनी की तृतीय यूनिट भंटिडा, पंजाब में स्थापित की गई। रसायनी और उद्योगमंडल संयंत्रों में डीडीटी विनिर्माण और कृषि रसायन विनिर्माण दोनों ही सुविधाएं हैं जबकि भटिंडा में केवल फॉर्मूलेशन के विनिर्माण और पैकेजिंग की सुविधा है। कंपनी ने बीजों और उर्वरक के क्षेत्र में भी अपने व्यवसाय का विविधिकरण किया है। कंपनी के भारत भर में 7 क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैं और इसके उत्पादों के विपणन और वितरण का एक व्यापक नेटवर्क है।

9,27 कंपनी ने 20.03.2018 को एचआईएल (इंडिया) लि. का नया नाम हासिल किया, क्योंकि पुराना नाम, अर्थात हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, कंपनी के विविध व्यवसायिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिविंबित नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही, नया नाम एचआईएल की स्थापित ब्रांड नाम के साथ अपनी संबद्धता को बरकरार रखता है।

9.28 एचआईएल की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 100 करोड़ रुपए और 91.33 करोड़ रुपए है। इसके शत–प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास हैं ।

9.29 एचआईएल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयए भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) को डीडीटी का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। कंपनी ने 1970 के उत्तरार्ध में कृषि रसायनों का विविधीकरण किया था ताकि कृषि क्षेत्र के लिए उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आज इसके पास कृषि समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी और फॉर्मूलेशन ग्रेड के कीटनाशकों की रेंज उपलब्ध है।

9.30 अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए कंपनी ने 2012–13 में बीज उत्पादन और विपणन व्यापार में प्रवेश किया। कंपनी को फसल और सब्जियों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं विपणन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है। कंपनी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) नेशनल ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईएचएच) के अंतर्गत बीज उत्पादन और अधिक उपज वाले बीज मिनीकिटों की आपूर्ति में राष्ट्रीय स्तर की बीज एजेंसी के रूप में भाग लिया। कंपनी ने तिलहन फसलों की 75,183 सीड मिनीकिट्स और 13.20 करोड़ रु. की दलहन फसलों की 96,967 सीड मिनीकिट्स की आपूर्ति की। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बीज व्यापार से किया गया गया करोबार 66.03 करोड़ रु. था।

9.31 बीज संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एचआईएल अपने आरएंडडी परिसर, ग्ररुग्राम में बीज जांच प्रयोगशाला स्थापित की है और बठिंडा संयंत्र में बीज गोदामों का निर्माण और बीज प्रसंसकरण संयंत्र की स्थापना कर रही हैए जो कि कंपनी के लिए निकट भविष्य में अतिरिक्त आय का जरिया होगा। निकट भविष्य में, इन हाउस सीड टेस्टिंग के अतिरिक्त व्यावसायिक लाभों के लिए बीज जांच प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाएगा।

9.32 किसानों की सभी कृषि संबंधी इनपुट आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप शॉप बनने के विजन के साथ 2015–16 में एचआईएल ने आगे उर्वरक व्यापार में विविधीकरण कर लिया। उर्वरक विभाग द्वारा पोषक तत्व आधारित सबसिडी योजना के अंतर्गत इसे उर्वरक आयात करने वाली एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठापित कर लिया गया है। कंपनी ने 2018–19 के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति से 131 करोड़ रुपये ब्रांड नाम 'हिलगोल्ड' ब्रांड नाम के तहत 2016–17 में बठिंडा में 1800 एमटीपी, के जल में घुलनशील उर्वरक (एनपीके 19:19:19) की सफल शुरुआत के बाद, कंपनी ने अन्य दो युनिटों (रसायनी और कोच्चि 9 में हिलगोल्ड का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें से प्रत्येक 3000 एमटीपीए है।

वित्तीय प्रदर्शन

9.33 वर्ष 2006–07 में मंजूर पुनः द्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद एचआईएल निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। गत 5 वर्षों में कंपनी के कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन और 31.03.2019 को नेटवर्थ निम्नानुसार हैः

(रुपए करोड में)

वर्ष	कुल कारोबार	शुद्ध लाभ/हानि
2014–15	339.90	1.60
2015–16	334.75	1.83
2016–17	372.94	3.26
2017–18	432.66	3.41
2018–19	478.24	3.62
	31.3.2019 को नेटवर्थः 103.85 करोड़ रुपए	

9.34 चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, अनंतिम गैर–लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार, कंपनी ने कुल 182.11 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 1.04 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया।

निर्यात

9.35 एचआईएल ने 2017–18 में 32 करोड़ रु. की तुलना में 2018–19 के दौरान 10.12 करोड़ रुपये का निर्यात किया। वर्ष के दौरान अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को डीडीटी, मैलाथियन टेक्नीकल और कृषि रसायनों का निर्यात किया। एचआईएल आने वाले वर्षों में निर्यात पर अधिक जोर देने की योजना बना रहा

है।

एचआईएल की नई पहलें और परियोजनाएं

9.36 उत्पाद प्रोफाइल को व्यापक बनाने और डीडीटी राजस्व पर कंपनी की निर्भरता को कम करने के नजरिए से, अपने प्रचालनों को विविधितापूर्ण बनाने के लिए एचआईएल द्वारा अनेक नईं पहलें की गई हैं और परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। इनमें से कुछ नई पहलें/परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. 'हिलगोल्ड' नामक ब्रांड के तहत सभी युनिटों, बठिंडा, रसायनी और कोच्चि में जल में घुलनशील उर्वरक (एनपीके 19:19:19) का विनिर्माण शुरू हो गया है।

ii. एचआईएल ने देश भर में अपने व्यापार नेटवर्क को नीम लेपित यूरिया, डीएपी और एनपीके की आपूर्ति हेतु अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों अर्थात नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) और इफको के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने अपने कारोबारी नेटवर्क में एसएसपी की आपूर्ति के लिए देश में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) निर्माताओं के साथ विपणन टाई–अप भी किया है।

iii. यूएनआईडीओ के वित्तपोषण से एचआईएल नीम आधारित उत्पादों जैसे कॉइल, क्रीम, टैबलेट्स आदि के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईपीएफटी और एनआईडीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

iv. कंपनी यूएनआईडीओ परियोजना 'डीडीटी के विकल्प के रूप में नॉन–पीओपी के विकास और संवर्धन' के अंतर्गत 50 लाख नेट प्रति वर्ष की प्रारंभिक क्षमता के साथ अपनी रसायनी यूनिट में दीर्घकालिक कीटनाशक नेट (एलएलआईएन) विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। इस सुविधा के चालू वर्ष 2019–20 में चालू होने की उम्मीद है।

v. वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा दिए गए 11 करोड़ रुपए के योजनागत ऋण से एचआईएल ने कृषि तथा बागवानी वाले फसलों की गुणवत्ता में बाधा डालने वाले घास/घासफूसों को नियंत्रित करने में मुख्य रूप से प्रयुक्त पेंडीमेथालिन, एक हर्बीसाइड का विनिर्माण करने के लिए कोच्चि में सफलतापूर्वक एक संयंत्र चालू किया है। पेंडीमेथालीन का व्यावसायिक उत्पादन मई, 2018 में शुरू हुआ।

vi. कंपनी ने वर्ष 2018–19 में देश के लगभग 14 राज्यों में किसानों के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन व्यवहारों के अपनाए जाने पर 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए। एचआईएल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 355 माली/नर्सरी के कर्मचारियों के लिए 200 घंटे के कौशल विकास प्रशिक्षण का भी आयोजन किया।

vii. कंपनी ने किसानों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि के लिए फसल समाधान एवं प्रबंधन, कृषि व्यवसाय अवसरों पर परामर्श सेवाओं, सरकारी सब्सिडी और कल्याण स्कीमों आदि का लाभ उठाने के लिए जागरूकता और मार्गदर्शन सहित कृषि रसायनए बीज और उर्वरकों जैसे सभी कृषि इनपुटों को किसानों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में किसान समझौता केंद्रों (केएसके) स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।

viii. अप्रैल, 2018 में आयोजित सीपीएसई सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर, कंपनी के लिए एक विजन 2022 कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है और डीपीई के दृष्टि पोर्टल के माध्यम से प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है।

*****

अध्याय – 10

स्वायत्त संस्थान

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी(सिपेट)

10.1 सिपेट रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आईएसओ 9001:2015 क्यूएमएस, एनएबीएलए आईएसओ/आईईसी 17020 से मान्यता प्राप्त एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, जो देश में पॉलिमर और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता और शिक्षण एवं अनुसंधान (एसटीएआर) संबंधी क्रियाकलापों के साथ पूर्ण रूप से समर्पित है। सिपेट देश भर में फैले 37 केन्द्रों में कार्यरत हैए जिनमें 7 इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर (आईपीटी), 23 कौशल एवं प्रौद्योगिकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस) और 3 उन्नत पॉलिमर अनुसंधान विद्यालय (एसएआरपी), 3 उप केन्द्र और 01 पादप अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र शामिल हैं।

10.2 उपर्युक्त के अलावा, 4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों सहित सिपेट देश के विभिन्न भागों में 9 केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। प्लास्टिक एवं संबद्ध उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिपेट केंद्रों के पास डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलिंग एंड मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं।

शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम

10.3 **दीर्घकालिक व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम:**

सिपेट 13 विभिन्न दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी कार्यक्रम, संचालित करता हैए जिनमें प्रवेश अर्हता के विभिन्न स्तरों पर होता है। संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे दीर्घकालिक कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

- डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (डीपीटी) (3 वर्ष)
- डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (डीपीएमटी) (3 वर्ष)
- पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन सीएडी/सीएएम के साथ (पीडी–पीएमडी) (1½ वर्ष)
- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग (पीजीडी–पीपीटी) (1½ वर्ष)
- बी.टेक. (प्लास्टिक इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी) (4 वर्ष)
- बी.ई/बी.टेक. (मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी) (4 वर्ष)
- एम.टेक. (प्लास्टिक इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी) (2 वर्ष)
- एम.टेक. (पॉलिमर नैने टेक्नोलॉजी) (2 वर्ष)
- एम.ई. (सीएडी/सीएएम) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (बायो पॉलिमर साइंस) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (पॉलिमर साइंस) (2 वर्ष)

- एम.एस.सी. (अप्लाइड पॉलिमर साइंस) (2 वर्ष)
- एम.एस.सी. (टेक.) मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग (5 वर्ष इंटेग्रेटिड प्रोग्राम)

10.4 संबंधित राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता/सहयोग से 05 सिपेट : आईपीटी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यूजी/पीजी/पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधित राज्य के संबद्ध विश्वविद्यालय के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। सिपेटः सीएसटीएस में ऑफर किए जाने वाले डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय सिपेट सीबीटी–जेईई 2019 के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में, यूजी/पीजी/पीएचडी और डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों में 13,029 छात्र नामांकित किए गए हैं।

अल्पकालिक व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमः

10.5 भारत सरकार के 'स्किल इंडिया मिशन' की तर्ज पर सिपेट भी प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संपूर्ण क्षेत्र में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फोकस करता है। सिपेट प्लासटिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) मानकों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप 37 अनुमोदित कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सिपेट द्वारा ऑफर किए जा रहे कार्यक्रमों की व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैंः

- रोजगार संबद्ध प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम
- उच्च कौशल और पुनर्कौशल कार्यक्रम
- लघु अवधि के उद्योग विशेष कार्यक्रम
- उद्योग की आवश्यकता अनुकूल कार्यक्रम
- विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए संयंत्र में प्रशिक्षण

10.6 16 घंटे से लेकर 960 घंटे की अवधि तक के अल्पकालिक कार्यक्रमों का उद्देश्य प्लास्टिक के संगत क्षेत्रों में प्रतिभागियों के कौशल और सक्षमता स्तर को बढ़ाना है। भारत और विदेशों में अग्रणी प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों में लाभप्रद रोजगार के माध्यम से बेरोजगार/अर्ध–रोजगार प्राप्त युवाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ अधिकांश कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। सिपेट ने 2019–20 के दौरान दिसंबर, 2019 तक दीर्घकालीन, अल्पकालीन और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 37, 738 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया।

प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएंः

10.7 सिपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संपूर्ण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं (टीएसएस) प्रदान करता है। टीएसएस सिपेट का एक अभिन्न भाग है और टूलिंग, प्रेसिजन मशीनिंगए मोल्ड और डाई का डिजाइन और विनिर्माण, सीएडी/सीएएम/सीएई सेवाएंए आधुनिक प्रोसेसिंग मशीनरी के माध्यम से प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण और प्लास्टिक सामग्री और उत्पादों की जांच और गुणवत्ता नियंत्रण में उच्च गुणवत्ता संवाएं ऑफर करने के द्वारा अपनी मुख्य सक्षमता दर्शाता है। सिपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संपूर्ण क्षेत्र में परामर्श और सलाहकार सेवाएं भी ऑफर करता है।

10.8 वर्ष 2019–20 के दौरान सिपेट द्वारा 63,224 प्रौद्योगिकी सहायता असाइनमेंटों का दायित्व लिया गया, जिनमें जॉब वर्क, मोल्ड ऑडर, टेस्टिंग और परामर्श सेवाएं शामिल हैं।

10.9 सिपेट द्वारा प्लास्टिक उत्पाद जैसे पीवीसी और पीई पाइपों, वोवन सैक, जल संचय टैंक, माइक्रो–इरिगेशन कंपोनेंट, इंजीनियर्ड बैम्बू बोर्ड, पॉलिमर आधारित कंपोजिट दरवाजे आदि के डिलीवरी पूर्व और डिलीवरी बाद निरीक्षण (पीडीआई) के साथ–साथ मैटेलिक पाइपों और फिटिंगों (सीआई/डीआई/जीआई/एमएस आदि) के भी डिलीवरी पूर्व और डिलीवरी बाद निरीक्षण किए जाते हैं।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियांः

10.10 सिपेट के दो सुस्थापित आरएंडडी विंग है अर्थात (i) चेन्नई में एडवांस्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) तथा (ii) भुवनेश्वर में लेबोरेटरी फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलीमेरिक मैटेरियल (एलएआरपीएम) जो 2008 में अपनी स्थापना के समय से ही उद्योग के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान में निरंतर रूप से अपना योगदान दे रहे हैं।

10.11 इसके अतिरिक्तए भारत सरकार ने बेंगलुरू में एक आरएंडडी विंग – एडवांस्ड पॉलिमर डिजाइन एंड डेवेलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी (एपीडीडीआरएल) की स्थापना को अनुमोदन किया है जिसकी कुल परियोजना लागत 87.00 करोड़ रुपए है जिसे भारत सरकार और कर्नाटक सरकार, देवनहल्ली, बेंगलुरु द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। संस्थान और छात्रावास भवन का निर्माण कार्य मैसर्स एनबीसीसी को सौंपा गया है। एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु के लिए खरीदी गई सभी उन्नत मशीनरी और उपकरण लगा दिए गए हैं। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री और रसायन और उर्वरक के माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से 27 दिसंबर, 2019 को एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु का उद्घाटन किया गया। केंद्र की स्थापना पॉलिमर, सीएडी/सीएएम/सीएई, कोटिंग ऑफ एडहेसिव, बाया–सेंसर, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधना, ई–वेस्ट रीसाइक्लिंग, नैना–कंपोजित के कंपोजित, बायो–पॉलिमर, आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाने में सहयोग करने के लिए की गई है।

10.12 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान, आरएंडडी विंगों के प्रमुख योगदानों/उपलब्धियों में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 70 शेधा पत्रों का प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 07 पुस्तक/पुस्तक अध्याय, 17 पत्रों की प्रस्तुति 03 पेटेंट दायर किए गए और 26 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को हाथ में लेना शामिल हैं।

10.13 प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान में सहायता करने के लिएए विभाग ने गुरुग्राम, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में सिपेट का विश्व स्तरीय आरएंडडी कम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। यह केंद्र विभिन्न उद्यमी विकास कार्यकलापों का समन्वय भी करेगा। डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

10.14 हाथ में ली गई प्रमुख अनुसंधान और विकास परियोजनाएं नीचे दी गई हैः

- यूनिक 3डी माइक्रोकस्ट्रक्चर युक्त नई पीढ़ी के एसिटाबुलर सॉकेट लाइनर और फेमोरल हेड प्रोटोटाइप और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस उपचार के लिए बेहतर फ्रैक्चर प्रतिरोध, इमप्रिंट, नई दिल्ली के तहत एसईआरबी–डीएसटी का विकास।

- जल निकायों, एसआरआइ–डीएसटी, नई दिल्ली में सौलर पीवी पैनलों को लगाने के लिए स्वदेशी फ्लोटिंग सिस्टम का विकास।
- आर्थोपेडिक और डेंटल एप्लीकेशन, डीबीटी, नई दिल्ली के लिए बायोमैटिरियल्स पर स्थनांतरणीय अनुसंधान।
- वाहनों की चेन, प्रयोग किए जाने वाले ओ–रिंग रबर सामग्री पर विकासात्मक अध्ययन। मैसर्स ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, चेन्नई।
- आयुध फैक्ट्री दम दम के लिए प्लास्टिक कंपोनेंट्स जैसे माइन, ड्रिल, एआरईआरएस–एपीएम 14 का विकास।
- सोनोबॉय के लिएए आउटर केस असेम्बली का विकास, मैसर्स एनपीओएल, कोच्चि।
- इंटेग्रेटिड कॉम्बी–टेस्ट सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग, एबीबी इंडिया लिमिटेड, बैंगलोर।
- मरीन पर्यावरण–नेवल अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी) में नेवल मैटिरियल्स की डिग्रेडेशन और एजिंग प्रभावों का आकलन।
- वेदर रेजिस्टेंट कोटिंग का विकास और मूल्यांकन, आर्टक्क्स, मैक्सिको।
- रॉकेट मोटर कोटिंग एप्लीकेशन, डीआरडीओ के लिए इंटरनल अब्लेटिव और इन्सुलेशन मैटिरियल का विकास।
- एनटीपीसी तलचर, कनिहा, ओडिशा के सीपीयू रिजनरेशन सिस्टम के लिए कॉनसेप कोन इंटरनल प्लेट का विकास।
- स्मार्ट एंड फ्लेक्सिबल सुपरकैपाट्री (इंडो जर्मनी)–डीएसटी के लिए हाइब्रिड 3डी आर्किटेक्चर।
- हाई एनर्जी डेंसिटी सुपरकैपाट्री–डीएसटी के लिए हाइब्रिड 3डी आर्किटेक्चर इलेक्ट्रोड का विकास।
- ऑटोमोबाइल विंडो ग्लास–डीएसटी के लिए ट्रांसपेरेंट हीट रिफ्लेक्टिंग (टीएचआर) नैनो–हाइब्रिड कोटिंग।
- स्टडी द फायर रिटारडेंसी ऑफ नैनो–एटीएच इन पॉलिमर्स, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र–खान मंत्रालय।
- इम्प्रूव्ड मकैनिकल बिहेवियर – बीआरएनएस, डीएई के लिए फंकशनलाइज्ड गामा इंटरेडिएटिड ग्वार गम आधारित बायोडिग्रेडेबल फिल्मों का विकास।
- क्रायोजेनिक लोंग रेंज टेम्परेचर मैनेजमेंट फेज-II-बीआरएनएस, डीएई के लिए संस्थान के अंदर विकसित किए गए एडहेसिव के साथ एसेम्बल किए गए थर्मल सेंसरों का फैब्रिकेशन और डिजाइन।
- बायो.इंजीनियर सस्टेनेबल पॉलिमर सिस्टम में उत्कृष्टता केंद्र – रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग।
- सिस्टम हाउसों और फोम विनिर्माण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सक्षमता वर्धन – यूएनडीपी।
- अगली पीढ़ी के हाइब्रिड सोलर सेलों का विकास : सस्टेनेबल फोटोवोल्टिक के लिए इफेक्युअल डाइक्टोपाइररोलोपाइररोल/कार्बाजोल आधारित मैटिरियल्स – एसईआरबी।
- हाई एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए लिग्नोसेल्युलोसिक नेचुरल फाइबर आधारित थर्माप्लास्टिक हाइब्रिड कम्पोजिट्स के प्रभावी उपयोग के लिए प्रक्रिया विकास–डीएसटी ।
- मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोरसायन लिमिटेड (एमआरपीएल), मंगलुरु के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए हाई परफॉर्मेंस पॉलीप्रोपाइलीन कंपोजिट्स का विकास।

- ''इनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल वेस्ट इन इंडिया'' के तहत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) के लिए कर्नाटक में स्वास्थ्य सुविधाओं से चिकित्सा अपशिष्ट प्लास्टिक का भौतिक.रासायनिक मूल्यांकन।
- जस्ट एनवायरमेंटल चौरिटेबल ट्रस्ट के लिए माइक्रो प्लास्टिक्स इन वॉटर का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण।
- उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी (एएमटी) कार्यक्रम, नई दिल्ली के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के लिए एक्रिलाटोनिट्राइल बुटाडीन स्टाइरीन फोम्ड प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए माइक्रोसेलुलर और नेनोसेल्युलर 3डी प्रिंटिंग प्रक्रिया का विकास।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित फोम विनिर्माण क्षेत्र में सिस्टम हाउसों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सक्षमता वर्धन।

वित्तीय प्रदर्शन (अलेखापरीक्षित):

10.15 वित्तीय वर्ष 2019.20 के दौरान, सिपेट ने 320.00 करोड़ रुपए के बजटीय राजस्व व्यय के साथ 355.00 करोड़ रुपए की आय पैदा करने की योजना बनाई है। सिपेट ने सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना सुविधाएं सुदृढ़ की है, जिससे प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों, जैसे कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता,शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हुई है और सिपेट 2008–09 से सेल्फ सस्टेनेबल मोड पर प्रचालन कर रहा है।

प्रमुख कार्यक्रम:

10.16 सिपेट, आईपीटी, अहमदाबाद में श्री मनसुख मांडाविया, माननीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा 18.08.2019 को लड़कें और लड़कियों के छात्रावास का उद्घाटन।

10.17 श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार द्वारा 29.08.2019 को सिपेट आईपीटी, चेन्नई में लड़कों के छात्रावास का उद्घाटन।

10.18 श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार द्वारा 26.09.2019 को सिपेट सीएसटीएस, हैदराबाद में लड़कों के छात्रावास का उद्घाटन।

10.19 सिपेटः सीएसटीएस – विजयवाड़ा का श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार और श्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी, माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 24.10.2019 को उद्घाटन।

10.20 श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार द्वारा 31.10.2019 को सिपेटः आईपीटी – कोच्चि का उद्घाटन।

10.21 सिपेट एसएआरपी–एपीडीडीआरएल बेंगलुरु का श्री बी.एस. येदियुरप्पा, माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक और श्री डी.वी.सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 27.12.2019 को उद्घाटन।

10.22 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपनाने का अनुरोध किया। सिपेट प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21.06.2019 को सिपेट (आईपीएफटी कैम्पस), गुरुग्राम और अन्य सिपेट केन्द्रों में मनाया गया।

10.23 जेआईसी, परियोजना के तहत सिपेट में उन्नत मोल्ड विकास और प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना के लिए सिपेट, आईपीटी लखनऊ और गिफुतादासेकी, जापान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुक्रम में श्रीमती अपर्णा एस. शर्मा, संयुक्त सचिव (पीसी), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभागए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में एक टीम ने इस परियोजना को अगले स्तर तक ले जाने के साथ–साथ सिपेट, आईपीटी लखनऊ द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित किए जाने वाले कार्यकलापों को समझने और जेआईसी, परियोजना के तहत सिपेट में एडवांस्ड मोल्ड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए गिफुतादासेकी/एनआरआई/जेआईसीए, जापान जाने के लिए 8–12 अप्रैल, 2019 तक जापान का दौरा किया।

10.24 प्रतिनिधिमंडल ने नवीनतम सुविधा को जानने के गिफू विश्वविद्यालय/एफपी कोर्पोरेशन/डीईएनएसओ कोर्पोरेशन और मैसर्स एडीईके, और प्लास्टिक्स रिसाइक्लिंग नवीनतम प्रणालियों को समझने के लिए जापान अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान एवं संबंधित उद्योग का भी दौरा किया।

सम्मेलन/संगोष्ठियां/प्रदर्शनियाः

10.25 आईपीएलईएक्स–2019, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी 23–25 अगस्त, 2019 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। टीएपीएमए, टीएपीपीएमए, केपीएमए, केएसपी, और सिपेट द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, टेक्नोक्रेट, उद्योगपतियों, मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य, केंद्र सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों और और प्लास्टिक बिरादरी के लोगों ने इस मेगा इवेंट में भाग लिया। श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि थे।

10.26 माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा और माननीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)ः और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख मांडाविया ने 27 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र पर स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रथम एडवाइजरी फोरम मीटिंग के दौरान जन समुदाय को संबोधित किया।

10.27 के–2019, पेट्रोरसायन, रबर और मशीनरी उद्योग पर विशालतम शो, डसेलडोर्फ, जर्मनी में 16–23 अक्टूबर, 2019 तक आयोजन किया गया। श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने के–शो का दौरा किया। 61 देशों के लगभग 3200 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनीकारों ने पेट्रोरसायन, रबर और मशीनरी उद्योग में नवीनतम विकास और अभूतपूर्व नवाचारों का प्रदर्शन किया।

स्वच्छ भारत अभियान

10.28 सिपेट, मुख्यालय और इसके केंद्रों ने मासिक आधार पर स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियों का आयोजन किया है। छात्रों और कर्मचारियों ने शॉप फ्लोर, छात्रावास परिसर और आसपास के क्षेत्रों सहित संस्थान परिसर में स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया है और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता रैली भी आयोजित की हैं जिसमें स्वच्छता एवं सफाई के महत्व को बल दिया गया है।

10.29 सिपेट मुख्यालय और इसके केंद्रों ने 01.09.2019 से 15.09.2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सिपेट द्वारा विभिन्न कार्यकलाप/कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्वच्छता ही सेवा (11 सितंबर से 27 अक्टूबर 2019 तक)

10.30 हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी, एक दूरदर्शी, को उनकी 150 वीं जयंती के दौरान याद करते हुए, जिन्होंने सफलता के लिए किसी राष्ट्र की जीत में हमेशा स्वच्छता और स्वच्छता की भूमिका का समर्थन किया, माननीय प्रधान मंत्री ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान को मजबूत करने और इसकी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, 2017 में एक मजबूत योजना 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अभियान शुरू किया गया था। एसएचएस, 2019 का आयोजन 11 सितंबर से 27 अक्टूबर 2019 तक किया गया था, जो भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन) पर केंद्रित था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) के माध्यम से रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने देश भर में पहचाने गए 80 स्थानों (40 वार्ड और 40 गाँवों) में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया।

10.31 इसके अलावा, जागरूकता पैदा करने और इस समस्या से निपटने और उचित अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान आदि के साथ–साथ प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की नवीनतम तकनीकों, नई पद्धतियों और नए तरीकों से परिचित होने के लिए 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 02 अक्टूबर, 2019 को बेंगलुरु, मुरथल और रांची में किया गया।

10.32 इसमें केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रमुख हितधारकों, उद्योग के नेताओं, अपशिष्ट एकत्र करने वाली एजेंसियों, रिसाइकलरों, शोधकर्ताओं, संघों, अपशिष्ट संग्रहकों, छात्रों, शिक्षकों, आदि सहित लगभग 550 प्रतिभागियों ने कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

10.33 श्री डी.वी.सदानंद गौड़ा, रसायन और उर्वरक मंत्री ने सिपेट एसएआरपी बेंगलुरु में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

10.34 श्री पी. राघवेंद्र राव, सचिव (रसायन और पेट्रो रसायन), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने सिपेटः सीएसटीएस, मुरथल में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

10.35 श्रीमती अलका तिवारी, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने सिपेट सीएसटीएस, रांची में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

10.36 सभी सिपेट केंद्रों में 'हिंदी पखवाड़ा' 14 सितंबर (हिंदी दिवस) से मनाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान, सभी सिपेट केंद्रों पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/छात्रों के लिए हिंदी में कई प्रतियोगिताओं अर्थात् शब्दावली, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, निबंध लेखन, नारा लेखन, पठन और भाषण आयोजित की गई।

मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण

10.37 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा 06.08.2019 से 07.08.2019 के दौरान सिपेटः सीएसटीएस–हैदराबाद का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया था।

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

प्रस्तावना

10. 38 गुरूग्राम, हरियाणा में अवस्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियमए 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। आईपीएफटी अपने प्रकार का एक मात्र संस्थान है जो अत्याधुनिक प्रयोक्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक फॉर्मूलेशन प्रौद्योगिकी के विकास के प्रति समर्पित है । संस्थान ने भारतीय कृषि रसायन उद्योगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया है और यह सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल फार्मूलेशन्स के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने में सफल रहा है । आईपीएफटी बायोएफिकेसी, फाइटोटॉक्सिटी व कृषि और घरेलू फॉर्मूलेशन दोनों के कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के लिए सीआईबी/आरसी दिशा.निर्देशों के अनुसार आंकड़े तैयार करने में भी उद्योगों की सहायता कर रहा है। आईपीएफटी घरेलू और बाह्य वित्तपोषित आरएंडडी परियोजनाओं को निष्पादित करता है।

संस्थान के उद्देश्य:

- अत्याधुनिक प्रयोक्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक फॉर्मूलेशन प्रौद्योगिकी का विकास और उत्पादन।
- नए फार्मूलेशंस की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल कुशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकीयों का संवर्धन।
- सुरक्षित विनिर्माण पद्धतियों, गुणवत्ता आश्वासन, कच्ची सामग्री मानकीकरण एवं स्त्रोत से संबंधित जानकारी का प्रसार।
- विश्लेषणात्मक तथा परामर्शी सेवाएं।
- कृषि रसायन के क्षेत्र में काम करने वाले कीटनाशी वैज्ञानिकों की योग्यता एवं उपयोगिता में सुधार करना।
- कीटनाशक कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा जारी रखना।

स्थापना का प्रयोजन:

10.39 बहुत अधिक विषाक्तता और जटिल भौतिक–रासायनिक गुणों के कारण कीटनाशकों का इनके शुद्ध रासायनिक रूप (तकनीकी ग्रेड) में अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। तकनीकी ग्रेड कीटनाशक प्रयोग के लिए तैयार सथिति (फॉर्मूलेशन) में परिवर्तित किए जाते हैं, उस स्थिति में इन्हें जल के साथ मिलाया जा सकता है और बहुत बड़े लक्षित क्षेत्र में बहुत छोटी मात्रा में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। लक्षित कीटनाशकों पर इच्छित प्रभावोत्पादकता पैदा करने के लिए फॉर्मूलेटिड उत्पादों को व्यवहारिक पद्धतियों द्वारा उचित प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है।

10.40 परंपरागत फॉर्मूलेशनों के जोखिमों और नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए आईपीएफटी की स्थापना विभिन्न प्रयोक्ता एवं और पर्यावरण अनुकूल नई जेनरेशन के कीटनाशक फॉर्मूलेशनों का विकास करने और प्रयोक्ता, किसानों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संबंधित कार्यकलापों के लिए की गई थी। भारतीय एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की कीटनाशक फॉर्मूलेशनों के विकास के क्षेत्र में सहायता करने के लिए आईपीएफटी देश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। यह भारत के कीटनाशी सूत्रीकरण और एनालिटिकल आर एंड डी केंद्रों के बीच एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में उभरा है। आईपीएफटी कीटनाशक सूत्रीकरण और एनालिटिकल टेक्नोलॉजी के विकास में सदैव सबसे आगे रहा है।

संगठनात्मक ढांचा

10.41 आईपीएफटी में एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक संरचना है जिसमें एक शासी निकाय शामिल है जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। शासी निकाय सालाना बैठक करता है और परियोजनाओं, बजट, जनशक्ति और लैब के सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेता है। दिन–प्रतिदिन के वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, संस्थान के पास एक वित्त और प्रशासनिक समिति (एफएंडएसी) है। यह समिति संस्थान के वित्त और प्रशासन से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए जब भी आवश्यकता होती हैए मिलती है। संस्थान के पास नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक अनुसंधान सलाहकार बोर्ड है और जिसके प्रधान एडीजी (पीपी), डी,सी, नई दिल्ली हैं। आईपीएफटी को चार प्रमुख कार्यात्मक प्रभागों, अर्थात् फार्मूलेशन डिविजीन, एनालिटिकल डिविजन, बॉयो–साइंस डिविजन और एक पायलट प्लांट डिवीजन द्वारा सेवा दी जाती है। संस्थान इन–हाउस, अनुदान–सहायता और उद्योग प्रायोजित परियोजनाएं करता है।

प्रमुख उपलब्धियां

अनुसंधान एवं विकास

10.42 **डीडीटी के लिए गैर–पीओपी विकल्प का विकास और संवर्धन**– इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य डीडीटी के लिए सुरक्षित, उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में मच्छर नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए जैव वनस्पति कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी विकसित करना है। बीटीआई आधारित वेटेबल पाउडर, आई, सस्पेंशन कॉन्संट्रेट, योगों की संरचना को अनुकूलित किया गया है। प्रारंभिक जैव–प्रभावकारिता के परिणामों ने संकेत दिया कि प्रयोगशाला में तैयार किए गए नमूने ने मच्छरों के लार्वा के खिलाफ पर्याप्त जैव–प्रभावकारिता प्रदान की।

10.43 **मोनोक्रोटोफोस एमेटिक्स युक्त सुरक्षित एसएल और एसपी योगों का विकास**–मोनोक्रोटोफोस एक कीटनाशक है जिसमें ब्रोड स्पेक्ट्रम प्रभावकारिता होती है। वर्तमान में देश में केवल एसएल फॉर्मूलेशन का उपयोग किया जा रहा है। यह सूत्रीकरण उपयोगकर्ताओं के लिए जानबूझकर या आकस्मिक विषाक्तता का खतरा पैदा करता है। सरक्षित एसएल और एसपी फार्मूलेशनों में आकसमिक या जानबूझकर विषाक्तता के जोखिमों को कम करने के लिए कड़वे तत्व होते हैं जो उल्टी पैदा करते हैं। इस तकनीक को उद्योग मेसर्स यूपीएल लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा।

10.44 **भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध सुगंधित पौधों से जैव सक्रिय यौगिकों को निकालना और कीटनाशक योगों का विकास, उनकी गुणवत्ता पैरामीटर और रोजगार सृजन**– इस परियोजना में रसायन विज्ञान विभाग,मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग को ट्विनिंग जैव–प्रौद्योगिकी विभागए नई दिल्ली के कार्यक्रम 2017–18 के तहत अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुगंधित पौधों के अर्क से सूक्ष्म–पायस केंद्रित इमल्शनए जेलए क्रीम जैसे पर्यावरण के अनुकूल फॉर्मूलेशनों को विकसित करना है। शोध कार्य इन पौधों से हरे कीटनाशक योगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो रासायनिक कीटनाशकों के भार को कम करेंगे।

10.45 **इन–हाउस अनुसंधान और विकास कार्य** – निम्नलिखित उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नए योगों के विकास के लिए प्रायोगिक कार्य किया गया था:

1. थिरम नैना–सस्पेंशन फॉर्मूलेशन की संरचना और प्रक्रिया अनुकूलन
2. मच्छर के शुरुआती चरणों में बीटीआई और जैवविविधता मूल्यांकन के साथ संयोजन में नीम के तेल का सस्पो–इमल्शन फॉर्मूलेशन।
3. पेक्टिन में देवदार के तेल का नैना–एनकैप्सुलेटेड फॉर्मूलेशन
4. डेल्टामेथ्रिन का नैनो सस्पेंशन फॉर्मूला

10.46 **उद्योग प्रायोजित परियोजनाएँ**–आईपीएफटी को निम्नलिखित 15 उद्योग प्रायोजित परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं:

i. क्रमशः बैंगन और खीरा फसल में व्हाइट फ्लाई और जसिड के खिलाफ सह–संयोजक के बिना और बिना नीम योगों का मूल्यांकन
ii. मिर्च फसल में प्रमुख चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए इंडोक्साकार्ब 9% + इमामेक्टिन बेंजोएट 1% के नए संयोजन कीटनाशकों का जैव–प्रभावकारिता मूल्यांकन
iii. आलू की शुरुआती और देर से तुड़ाई के खिलाफ एक नया कवकनाशी, डब्ल्यूसीपीएल 3535 की फील्ड स्टडी
iv. व्हीट रस्ट (भूरा, पत्ती, तना, धारी), और पाउडरी मिल्ड्यू के विरुद्ध डब्ल्यूसीपीएल 1550 सूत्रीकरण का मूल्यांकन
v. डेंगू वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीम और मिश्रित वनस्पति बेड मच्छर कॉयल का मूल्यांकन
vi. सोयाबीन और फसली मिट्टी में इमाजमोक्स 35% + 35% इमाजायापायर डब्ल्यूजी के अवशेषों पर अध्ययन
vii. मिर्च में उत्पाद फिप्रोनिल 4%+ एसिटामिप्रिड 4% एससी के अवशेषों पर अध्ययन – तीन स्थानों का अध्ययन
viii. टमाटर में उत्पाद फिप्रोनिल 4% + एसिटामिप्रिड 4% एससी के अवशेषों पर अध्ययन तीन स्थान का अध्ययन
ix. ओकरा में उत्पाद फिप्रोनिल 4% + एसिटामिप्रिड 4% एससी के अवशेषों पर अध्ययन
x. मिर्च में उत्पाद फिप्रोनिल 4% +एसिटामिप्रिड 4% एससी के दृढ़ता व्यवहार पर अध्ययन
xi. टमाटर में उत्पाद फिप्रोनिल 4% + एसिटामिप्रिड 4% एससी के परसिस्टेंस व्यवहार पर अध्ययन
xii. ओकरा में उत्पाद फिप्रोनिल 4% + एसिटामिप्रिड 4% एससी के परसिस्टेंस व्यवहार पर अध्ययन
xiii. सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी यसीएमएसएसद्ध द्वारा प्राप्त अल्फा.साइपरमेथ्रिन 5% डब्ल्यूपी नमूनों को त्वरित भंडारण के पहले और बाद में गुणवत्ता जांच के लिए प्राप्त किया गया है।
xiv. राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पैदा किए गए फलों, सब्जियों, अनाज और बीज मसालों, तिलहन के अवशेषों का अध्ययन
xv. कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारत के विभिन्न हिस्सों की सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी

10.47 **एनालिटिकल डिविजन का एनएबीएल द्वारा प्रत्यायन** – कीटनाशकों और उनके फॉर्मूलेशनों, फूड मैट्रिस और सीडब्ल्यूसी संबंधित रसायनों में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिएए आईएसओ/आईईसी–17025 (2005) के अनुसार एनालिटिकल डिविजन नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलीब्रेशन लेब्रोट्रीज (एनएबीएल) द्वारा एक प्रत्यायित प्रयोगशाला होना जारी रखे हुए है। प्रयोगशाला का पुनर्मूल्यांकन 25–26 मार्च, 2017 के दौरान किया गया था और प्रयोगशाला का प्रत्यायन 30.06.2021 तक वैध है। प्रत्यायन का नवीनीकरण और 170 से अधिक कीटनाशकों के लिए स्कोप एक्सटेंशन प्रदान किया गया था।

10.48 **भारतीय मानक ब्यूरा**– कीटनाशक योगों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला पहचान योजना के अनुसार प्रयोगशाला को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान्यता 06 जून, 2021 तक मान्य है।

10.49 **कौशल विकास/प्रशिक्षण**– आईपीएफटी केमिकल/एग्रोकेमिकल क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। आईपीएफटी ग्रामीण कृषि और गहन फसल प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ किसानों के फील्ड फेज और किसानों की बैठकों में योगदान देता है। उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कीटनाशक उद्योगों के अनुसंधान अध्येता/छात्र/अधिकारी आईपीएफटी के पास आते हैं। आईपीएफटी निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से किसानों के लिए जागरूकता पैदा कर रहा है और विस्तार कार्यकलाप कर रहा है:

- कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों में किसानों को शिक्षित करने के लिए गाँवों की पहचान करना और उन्हें अपनाना।
- नवीनतम कीटों की समस्याओं पर सर्वेक्षण करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना।
- जैविक खेती के बारे में किसानों को शिक्षित करना और स्वदेशी तकनीकों / पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना।
- कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- विभिन्न कृषि मेलों, सम्मेलनों, कृषि प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना।

10.50 संस्थान के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 11 प्रकाशन हैं और वर्ष 2019–20 के दौरान 03 पुस्तक अध्याय प्रकाशित किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

10.51 कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) में स्वच्छ्ता पखवाड़ा 01 सितंबर, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक मनाया गया। आईपीएफटी के कर्मचारियों द्वारा आसपास के कार्यालय परिसर और सड़कों की सफाई की गई। उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया और पुराने रिकॉर्ड/फाइलों को नष्ट करने के लिए पहचान भी की गई। औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग विहार में फैक्ट्री परिसर में और उसके आसपास सफाई अभियान भी संस्थान के कर्मचारियों की एक टीम द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमदान के दौरान, आईपीएफटी के कर्मचारियों ने निरक्षर लोगों, स्थानीय विक्रेताओं, श्रमिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित किया। 'स्वच्छ भारत पर जागरूकता कार्यक्रम' पर एक वार्ता का भी आयोजन किया गया।

10.52 आईपीएफटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 का आयोजन किया गया था जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया था। इस संस्थान ने एकल–उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के लिए अभियान को बढ़ावा देना शुरू किया था और प्रत्येक कर्मचारी को एकल–उपयोग प्लास्टिक के विकल्प का उपयोग करने का संदेश दिया गया था अर्थात् वे दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए कांच की बोतल, पानी के गिलास, कुल्हड़ का उपयोग कर सकते हैं और वे अपने घरों पर भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग सुरक्षित नहीं हैं और गैर–बायोडिग्रेडेबल हैं। इस तरह की गतिविधियों को गुरुग्राम इलाके में और उसके आसपास के

क्षेत्र में आम जनता और स्थानीय खाद्य विक्रेताओं में बढ़ावा दिया जाता है। अभियान के दौरानए आईपीएफटी के कर्मचारियों द्वारा आईपीएफटी के आसपास के क्षेत्र से एकल उपयोग प्लास्टिक सहित अपशिष्ट को एकत्र किया गया था और बाद में इसे दो भागों (i) बायो–डिग्रेडेबल और (ii) एकल–उपयोग प्लास्टिक में अलग किया गया था, जो अपशिष्ट कलेक्टरों को सौंप दिया गया था।

स्वच्छ भारत के लिए प्रचार गतिविधि

10.53 निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएफटी के कर्मचारियों और परियोजना कर्मचारियों को 'हमारे जीवन में स्वच्छ्ता का महत्व' विषय पर 09.30–01.00 बजे के बीच निबंध लिखना था। निबंध का विषय प्रतिभागियों को बता दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ तीन निबंधों का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी और पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर राकेश कुमार ने किया। पखवाड़ा के समापन दिवस पर चयनित प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिया गया।

10.54 **राजभाषा गतिविधियाँ:** आईपीएफटी की अपनी द्विभाषी वेबसाइट है। बिल / टेस्ट रिपोर्ट, कवरिंग लेटर, कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रियात्मक साहित्य के प्रारूप द्विभाषी रूप में तैयार किए गए हैं। आईपीएफटी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), गुड़गांव का एक सदस्य है।

10.55 **फोटो गैलरी**

(क) आईपीएफटी ने 21 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

(ख) आईपीएफटी ने 1–15 सितंबर, 2019 को स्वच्छ्ता पखवाड़ा आयोजित किया

*****

अध्याय – 11

संवर्धनात्मक गतिविधियां और प्रमुख कार्यक्रम

इंडिया केम 2020

11.1 भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फिक्की के सहयोग से रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, वर्ष 2000 से द्विवार्षिक रूप से 'भारत रसायन' कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

11.2 रसायन श्रृंखला आयोजित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन प्रदान करना तथा देश के रसायन उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डालना है। विश्व भर की अग्रणी कंपनियां मुख्य रूप से ईरान, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राजील, तुर्की और दक्षिण पूर्व एशियाई देश प्रदर्शनी आयोजकों, शिष्टमंडल तथा आगंतुकों के रूप में भाग लेते हैं।

11.3 **'मेक इन इंडिया'** जैसी पहल के साथ, प्रोत्साहन, निवेश, नवाचार तथा अवसंरचना रसायन उद्योग के लोगों के लिए प्रमुख क्षेत्र बनने जा रहे हैं। भारत में रासायनिक उत्पादों की वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत विश्व के औसत का लगभग 1/10 वां हिस्सा है, जो दर्शाता है कि मांग की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से देखना शेष है। आशा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ, रासायनिक उद्योग में और अधिक तीव्र गति से वृद्धि होगी और 2025 तक दोगुना होने की संभावना है।

11.4 विशिष्ट रसायन और पेट्रो रसायन के निर्यात में वृद्धि और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)संयुक्त रूप से मुंबई में 8–10 अक्टूबर, 2020 के दौरान इंडिया केम के 11 वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह रसायन, पेट्रोरसायन तथा प्रौद्योगिकयों, प्रोसेस प्लांट मशीनरी, नियंत्रण और स्वचालन प्रणाली उद्योग का सबसे बड़ा संयुक्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 300+ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों, 15000+ व्यापार आगंतुकों के आने की उम्मीद है।

*****

अध्याय – 12

सामान्य प्रशासन

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

12.1 विभाग का मुख्य कार्य रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों के लिए नीति बनाना, इस क्षेत्र की प्लानिंग, संवर्धन तथा विकास करना है। विभिन्न प्रकार के रसायन और पेट्रोरसायन के निर्माण में संलग्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ इन सेक्टरों में संलग्न स्वायत्त संस्थाओं का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण विभाग के कुछ प्रमुख कार्य हैं।

12.2 सचिव, भारत सरकार, विभाग के प्रमुख हैं और एक अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, दो संयुक्त सचिव, एक उप महानिदेशक, एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक उनकी सहायता करते हैं (संगठन चार्ट अनुबंध–IV में दिया गया है)।

विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों को रोजगार

12.3 विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगों के रोजगार की स्थिति 30.11.2019 के अनुसार निम्न तालिका में दी गई है:

समूह	पदों की कुल सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग
क	35	3	2	0
ख	68	8	1	0
ग	78	10	3	1
कुल	**181**	**21**	**6**	**1**

12.4 समूह 'क' के अधिकारियों में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित अधिकारी और विभाग के तकनीकी पदों के अधिकारी शामिल हैं। समूह 'ख' और 'ग' के पदों की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राजभाषा विभाग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भेजे गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

अभिलेख प्रबंधन

12.5 केन्द्र सरकार के सरकारी रिकार्डों का प्रबंधन, प्रशासन तथा संरक्षण का विनियमन करने के लिए संसद ने 'सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993' अधिनियम बनाया है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए नियम भी बनाए हैं। अधिनियम की धारा 6(1) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सामान्य प्रशासन के प्रभारी अवर सचिव को विभाग में रिकार्ड अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। विभाग का एक आधुनिक अभिलेख कक्ष उद्योग भवन में स्थित है ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

12.6 विभाग में तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति पर सांविधिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक हिन्दी अनुभाग है। आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में हिन्दी अनुभाग के कार्य पर्यवेक्षण के लिए उप निदेशक (राजभाषा) हैं।

12.7 विभाग में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 12 से 25 सितम्बर, 2019 के दौरान किया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण आलेखन, अनुवाद, कविता पाठ तथा एमटीएस कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से हिन्दी निबंध लेखन सहित पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

12.8 उप महानिदेशक और आर्थिक सलाहकार महोदया की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 28.06.2019 और 26.09.2019 को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग पर की गई प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी सुधार किए जाने के उद्देश्य से सुझावों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया। उक्त बैठकों में विभाग में हिंदी पत्राचार की स्थिति के साथ–साथ हिंदी टिप्पण पर भी चर्चा की गई।

12.9 विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा अनुमोदित दो प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं, नामतः (1) हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन और (2) हिन्दी में डिक्टेशन देना, लागू की गई।

12.10 विभाग द्वारा 6–7 अगस्त, 2019 को सिपेट, हैदराबाद का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने और उनके समक्ष हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव दिए गए।

12.11 विभाग में दिनांक 27.06.2019 और दिनांक 24.07.2019 को 2 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दोनों कार्यशालाओं का विषय ''कंप्यूटर पर हिंदी टंकण'' था। उक्त कार्यशालाओं में विभाग के 46 अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।

12.12 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कागजात जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कार्य निष्पादन बजट, अनुदान माँगें, संसद प्रश्न एवं आश्वासन, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कागजात तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल नोट, विभागीय बेबसाइट अद्यतन करने संबंधी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। राजभाषा नियमए 1976 के नियम, 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने के प्रयास किए गए।

12.13 वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्टें समेकित करके डेटाबेस में शामिल कराने के लिए राजभाषा विभाग को भेजी गई। विभाग के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई तथा उनमें पाई गई कमियों को सुधारने के लिए सुझाव दिए गए।

सतर्कता संगठन की गतिविधियां:

12.14 विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के एक पार्ट–टाइम मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का पद है, जो विभाग के कर्मचारियों एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच पड़ताल करते हैं। निदेशक, अवर सचिव और एक सतर्कता अनुभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की सहायता करते हैं।

12.15 28 अक्तूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान 'इंटिग्रिटी – ए वे ऑफ लाइफ' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' आयोजित किया गया। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। विभाग के साथ–साथ इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू/स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी 28 अक्टूबर, 2019 को इंटिग्रिटी की शपथ ली गई।

लिंग समानता:

12.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। यह समिति जून 2002 से कार्यरत है। वर्तमान में दिनांक 13.08.2019 से आर्थिक सलाहकार समिति की अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

I. विभाग की वेबसाइट पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आईसीसी के गठन की जानकारी अपलोड की गई।

II. महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए गेट नं.2 के पास ''ए विंग'' द्वितीय तल पर एक शिकायत बॉक्स लगाया गया।

अशक्त व्यक्तियों के अधिकार:

12.17 दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 का लक्ष्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान को बरकरार, रखना और किसी प्रकार के भेद–भाव को रोकना है। अशक्त व्यक्तियों के लिए वास्तविक परिवेश एवं अन्य

सुविधाएं और सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। विभाग का सूचना एवं सुविधा केंद्र विशेष रूप से शास्त्री भवन में भूतल पर स्थापित किया गया हैए ताकि ऐसे व्यक्ति वहां आसानी से एवं बिना परेशानी के पहुंच सकें। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अशक्त व्यक्तियों की समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

12.18 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग समूह (क) में 6 तकनीकी पदों, समूह (ग) में स्टाफ कार चालकों के 5 पदों, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर के 2 पदों, डिस्पैच राइडर का 1 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 48 पदों के संबंध में कैडर नियंत्रक प्राधिकरण है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) के अंतर्गत शामिल अशक्तता की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपयुक्त पद हेतु इस विभाग में एमटीएस समूह 'ग' के पद की पहचान की गई हैः–

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि

(ख) बधिर और सुनने में कठिनाई

(ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी (ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, बी,) जिसमें ठीक हुआ कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशियों की शिथिलता शामिल हैं।

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक रुग्णता शामिल है।

(ड.) बधिर–दृष्टिहीनता सहित (क) से (ड.) के बीच कई विकलांगताएं।

विभाग में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजनः

12.19 स्वच्छ्ता कार्यकलापों को मुख्यधारा में लाने के सरकार के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए सभी पीएसयू/स्वायत्त निकायों सहित विभाग ने कार्ययोजना तैयार की और इसे वर्ष 2019–20 के लिए इसे लागू किया। रिपोर्ट और फोटोग्राफ पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा होस्ट किए गए पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाती हैं। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने 01 सितंबर से 15 सितंबर, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और बैनर प्रदर्शित करना, विशेष स्वच्छता अभियान, पुरानी फाइलों/रिकॉर्डों को छंटाई, डस्टबिन्स लगाने जैसी विभिन्न कार्यकलाप किए। सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) ने अवर सचिव तथा इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को अपने चैम्बर में दिनांक 01.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे स्वच्छता शपथ दिलवाई। विभिन्न अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों/पर्यवेक्षी अधिकारियों ने अपने स्टाफ के सदस्यों को शपथ दिलवाई।

12.20 पखवाड़ा कार्यकलापों के दौरान दो अन्य प्रतियोगिताएं. निबंध लेखन प्रतियोगिता और कविता पाठ प्रतियोगिता क्रमशः ''स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच संबंध''तथा ''स्वच्छता अपनाएं अपना आज और कल स्वस्थ बनाएं'', विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की गई। दोनों प्रतियोगिताओं को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।

12.21 सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएसयू तथा स्वायत्तशासी निकायों के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने दिनांक 11.09.2019 को आईपीएफटी, गुरुग्राम में श्रमदान कार्यकलापों में भाग लिया।

12.22 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिनांक 11.09.2019 को शास्त्री भवन में श्रमदान किया। श्री पी. राघवेंद्र राव. सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) तथा सुश्री अलका तिवारी, एएस एंड एफए स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कमरों की साफ–सफाई देखने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के कमरों का दौरा किया।

सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संस्थानों में ''स्वच्छता पखवाड़ा'' का आयोजनः

12.23 'स्वच्छता पखवाड़ा 2019' के दौरान, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने कार्यालय परिसरों/कारखानों/प्रयोगशालाओं/शौचालयों/परिसरों की सफाई, तथा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में निबंध लेखन, ड्राइंग, कार्टून और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं/कार्यशालाओं का आयोजन, रैलियों का संचालन, पर्चे का वितरण, स्वच्छता पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना, स्वच्छता पर कार्यशाला आदि जैसी गतिविधियां संचालित की गईं।

स्वच्छता ही सेवा अभियानः

12.24 भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट मुक्त बनाने के लिए प्रथम लोक कदम उठाने संबंधी 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान के प्रत्युत्तर में विभाग के साथ.साथ इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों ने स्वच्छ भारत के विजन को साकार करने के लिए इसे जन आन्दोलन बनाने के उद्देश्य से 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में सक्रियता से भाग लिया। इस अभियान के लिए विभाग की ओर से श्रीमती गोधुली मुखर्जी, आर्थिक सलाहकार को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित कार्ययोजना के साथ कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गयाः

<u>रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के लिए कार्ययोजना</u>

चालीस सिपेट केंद्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस प्रयोजनार्थ एक गांव (ग्रामीण) और एक नगर वार्ड (शहरी) को गोद लेंगे।

फेज–1 (11 सितंबर से 1 अक्टूबर)ः

- चुने गए गांवों और वार्डों में प्रशिक्षण और जागरुकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप किए जाएंगे।
- स्थानीय शैक्षणिक संस्थानए सरपंचों और आम जनता को इसमें शामिल किया जाएगा।
- प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के साथ.साथ इसमें कूड़ा बीनने वालों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- स्वयं सेवकों को रिसाइकल्ड प्लास्टिक आदि से बनी हुई टी–शर्ट और कैप दी जाएगी।

फेज–2 (2 अक्टूबर) श्रमदानः
राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर परः

- सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे और प्लास्टिक के सही प्रयोग के बारे में जागरुकता पैदा करने के संबंध में निम्नलिखित तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगेः

- o मुरथल, हरियाण(उत्तर)
- o बेंगलुरु, कर्नाटक (दक्षिण)
- o रांची, झारखंड (पूर्व)

- मुरथल के नजदीक एक गांव को गोद लिया जाएगा जहां विभाग के अधिकारी और कर्मचारी प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए श्रमदान करेंगे।

गांव और वार्ड स्तर पर

- प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया जाएगा और जिला प्राधिकारियों से परमर्श करके रिसाइक्लिंग हेतु उचित स्थानों पर जमा किया जाएगा।
- स्वच्छता शपथ ली जाएगी।

फेज–3 (3 से 27 अक्टूबर):

- जिला प्रशासन से समन्वय करके इकट्ठा किए गए कचरे को नगर/जिला कलेक्शन हबों तक पहुंचाने में सहायता।
- कचरे की छंटाई, रिसाइक्लिंग और निपटान में लगे सभी संबंधितों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।

मुरथल में किए गए कुछ कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

i. महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबरए 2019 को सिपेट (सीएसटीएस) मुरथल, हरियाणा में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा, 2019 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ii. सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, सिपेटः सीएसटीएस मुरथल के प्राध्यापकों और छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

iii. स्वच्छ्ता ही सेवा के तहत मुरथल गाँव में सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, आर्थिक सलाहकार और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों और मुख्य अतिथि श्री संग्राम सिंह,खेल जगत की हस्ती द्वारा श्रमदान के कार्य किए गए।

iv. श्री पी. राघवेंद्र रावए सचिव रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने सिपेटः सीएसटीएस मुरथल में प्लास्टिक प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया।

इसके अतिरिक्त, विभाग के सचिवालय/रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान–2019 के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए।

योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

12.25 रसायन और पेट्रोरसासयन विभाग, भारत सरकार के साथ–साथ एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, सिपेट और आईपीएफटी द्वारा 21.06.2019 को मनाए गए 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विभाग के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने सक्रियता से भाग लिया। श्री पी. राघवेंद्र राव, सचिव (रसायन और पेट्रोरसासयन) ने व्यापक योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। लगभग 500 व्यक्ति इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय एकता दिवस

12.26 31.10.2019 को विभाग में राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल युनिटी डे) मनाया गया। इस अवसर पर, सचिव द्वारा विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई।

12.27 पहले से उल्लिखित विशिष्ट दिवसों के अतिरिक्त, विभाग ने निम्नलिखित अवसरों को मनाया और जहां कहीं निर्धारित थी, वहां शपथ ली:

विश्व तंबाकू निषेध दिवस	31 मई
सदभावना दिवस की प्रतिज्ञा	20 अगस्त
स्वच्छ्ता प्रतिज्ञा	2 सितंबर
हिंदी पखवाड़ा	11 सितंबर
स्वछता ही सेवा	2 अक्टूबर
सतर्कता जागरूकता सप्ताह	28 अक्टूबर
राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर
संविधान दिवस	26 नवंबर
राष्ट्रीय मतदाता दिवस	25 जनवरी

गवर्नमेंट इ–मार्किट (जीईएम) के माध्यम से खरीद

12.28 विभाग ने अपने उपभोग की चीजों को जीईएम के माध्यम से खरीदने के द्वारा सरकार के ई–खरीद प्लेटफॉर्म का पूर्ण उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप, पिछले सकल वित्तीय वर्ष के दौरान 26 लाख रुपये की खरीद

मूल्य के मुकाबले जीईएम के माध्यम से 01.04.2019 से 31.12.2019 तक खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य 92.01 लाख रुपये है।

जीईएम खरीद पर क्षमता निर्माण के विषय में कार्यशाला और एससीओजीईएम की नियमित बैठकों का आयोजन।

12.29 विभाग और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में खरीद का कार्य देखने वाले सभी कर्मचारियों के लिए जीईएम के माध्यम से खरीद के सभी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जीईएम खरीद पर क्षमता निर्माण विषय पर 04.07.2019 को विभाग में आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान, जीईएम के अधिकारियों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें जीईएम से संबंधित मुद्दों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।

12.30 उपर्युक्त के अलावा, विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के जीईएम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट इ–ऑफिस मार्केटप्लेस (एससीओजीईएम) पर स्थायी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

मेक इन इंडिया

12.31 दिनांक 24 मई, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने 'सार्वजनिक क्रय में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता प्रदान करने की नीति' को अनुमोदित किया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 जारी किया हैए जो सार्वजनिक क्रय में सभी सरकारी एजेंसियों को मेक इन इंडिया को प्राथमिकता प्रदान करने का का आदेश देता है। इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक क्रय में घरेलू निर्माताओं को बाजार में प्राथमिकता वाली पहुंच और विश्वसनीय मांग का अवसर प्रदान कर घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग को 'रसायन क्षेत्र'में वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में निर्धारित किया गया है।

12.32 विभाग ने छह रसायनों अर्थात(i)सोडा ऐश, (ii) कास्टिक सोडा, (iii) एल्युमीनियम फ्लोराइड, (iv) कार्बन ब्लैक, (v) फॉर्मेल्डिहाइड और (vi) क्लोरीन के लिए 25 मई, 2018 को सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश जारी किया है। ।

12.33 इसके बाद विभाग ने 23 अक्टूबर, 2018 को 49 अतिरिक्त रसायनों, पेट्रोरसायन, डाइस्टफ और कीटनाशकों के लिए सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी किया है।

लोक शिकायतों का निवारणः

12.34 इस विभाग में एक आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी कार्य करती है, जो सभी लोक शिकायतों पर गौर करती है। 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, विभाग में 384 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं।

इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई। इस विभाग में लोक शिकायतों के निवारण की दर लगभग 98% है। आर्थिक सलाहकार को विभाग की लोक शिकायत के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। लोक शिकायत के नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम, कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि को विभाग की वेबसाइट (http://chemicals.gov.in/) पर प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक डिवीजन में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया हैए जो संबंधित डिवीजनों से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005:

12.35 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत विभाग में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदन को उन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक अधिकारियों के पास भेजती है, जो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं और यह केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करता है।

क) सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों को अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत उनके विषयों के अनुसार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

ख) सभी निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके साथ सीपीआईओ के रूप में काम करने वाले अवर सचिवों / अनुभाग अधिकारियों के संबंध में अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में अपीलीय अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

ग) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति की सुविधा के लिए विभाग के रिसेप्शन काउंटर पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से प्राप्त आवेदनों को आरटी. आई प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित सीपीआईओ लोक प्राधिकरणों को आगे अग्रेषित कर दिया जाता है।

घ) वर्ष 2019–20 के दौरान यानी 01.04.2019 से 31.12.2019 तक 192 आरटीआई आवेदन और 7 आरटी. आई प्रथम अपील इस विभाग में प्राप्त हुए। आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इन्हें तुरंत संबंधित लोक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया।

ड.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, जिसे उनके दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. स. 1/5/2011–आईआर के द्वारा जारी किया गया है, यह मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से सभी आरटीआई आवेदनों, अपीलों और सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों के उत्तरों का निपटान कर रहा है।

12.36 मतदाता जागरूकता फोरम

भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मार्च, 2019 में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय मतदाता जागरूकता फोरम (वीएएफ) को सक्रिय किया गया था। वीएएफ के उद्देश्य (i) नौकरी पेशा वर्ग के मतदाताओं में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना, (ii) नामांकन की प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और (iii) युवाओं की नामांकन में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

वीएएफ के तत्वावधान में, विभाग में विभिन्न कार्यकलाप किए गए जो निम्नानुसार हैं:

i. 20 मार्च, 2019 को विभाग में सभी वीएएफ की बैठक आयोजित की गई और सदस्यों को वीएएफ के महत्व से अवगत कराया गया और विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों सहित फोरम के सदस्यों के लिए विभिन्न कार्यकलापों की योजना बनाई गई।

ii. 09 अप्रैल, 2019 को, 'पंजीकरण और नाम जांचने' का कार्य किया गया और सामान्य मतदाता के रूप में नामांकन की प्रक्रिया और फॉर्म 6, फॉर्म 6ए, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और 8, को हाथ से भरने के साथ–साथ इन्हें 'राष्ट्रीय मतदाता' सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन भरने के बारे में भी प्रतिभागियों को बताया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को लोकसभा चुनाव 2019 की तिथियों और चुनाव प्रक्रिया में मतदाता की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताया गया।

iii. 24 जनवरी, 2020 को विभाग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) की शपथ ली गई। इसके बाद मतदाता जागरूकता फोरम की एक और बैठक हुईए जिसमें प्रतिभागियों को मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरुक किया गया और उनसे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में अपना वोट डालने का अनुरोध किया गया।

*****

अनुबंध – I

उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख रसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015–16	2016–17	2017–18	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. एल्कली केमिकल्स									
सोडा ऐश	3031.00	3086.00	3464.00	2462.00	2583.01	2613.42	2989.57	3048.19	5.48
कास्टिक सोडा	3102.02	3297.22	3335.94	2442.89	2503.96	2594.50	2742.31	2925.35	4.61
तरल क्लोरीन	2289.26	2438.51	2474.20	1720.10	1714.82	1800.67	1899.41	2069.11	4.73
कुल	**8422.28**	**8821.73**	**9274.14**	**6624.99**	**6801.78**	**7008.58**	**7631.30**	**8042.65**	**4.97**
II. अकार्बनिक रसायन									
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	25.60	25.60	25.60	6.73	9.51	8.14	7.51	5.70	4.09
कैलशियम कार्बाइड	112.00	112.00	112.00	87.18	83.47	85.02	87.30	83.17	–1.17
कार्बन ब्लैक	640.00	640.00	640.00	444.35	469.56	535.27	530.36	546.39	5.30
पोटाशियम क्लोरेट	3.00	3.00	4.60	0.45	0.41	0.01	0.35	0.70	11.99
टाइटेनियम डाइऑक्साइड	82.50	82.50	82.50	47.88	58.53	58.46	57.82	57.06	4.48
लाल फास्फोरस	1.68	1.68	1.68	0.89	0.84	0.77	0.88	1.03	3.84
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	169.23	165.85	165.85	119.75	153.08	148.87	15702	156.45	6.91
कैल्शियम कार्बोनेट	282.35	282.35	282.35	236.93	226.13	216.33	217.25	213.33	–2.59
कुल	**1316.35**	**1312.98**	**1314.58**	**944.15**	**1001.53**	**1052.87**	**1058.48**	**1063.83**	**3.03**
III. कार्बनिक रसायन									
एसिटिक एसिड	177.43	177.43	159.62	159.61	157.91	158.51	1570.07	153.80	–0.92
एसिटिक एनहाइड्राइड	118.30	115.43	115.43	93.84	92.99	94.82	97.09	95.47	0.43
एसिटोन	47.14	47.14	47.14	25.98	24.96	26.79	32.87	40.74	11.90
फिनोल	76.75	76.75	76.75	42.26	40.42	43.57	53.45	65.39	11.53
मेथनोल	474.30	474.30	474.30	209.83	162.62	176.96	260.49	271.93	6.70
फार्मल्डीहाइड	411.30	411.30	411.30	255.95	242.09	244.19	248.23	226.61	–3.00
नाइट्रोबेंजीन	91.80	91.80	112.05	69.72	68.37	69.71	71.41	68.80	–0.33
मेलिक एनहाइड्राइड	6.40	6.40	6.40	3.20	3.54	3.53	3.31	4.56	9.21
पेंटाएरीथ्रीटोल	13.72	13.72	13.72	13.46	13.97	14.01	14.10	14.99	2.73

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एनीलीन	60.10	54.10	54.10	34.47	39.40	41.45	41.88	37.85	2.36
क्लोरो मिथेन्स	221.10	221.10	219.92	220.71	220.18	221.51	222.43	285.53	6.65
आइसोब्यूटाइलबेंजिन	13.80	13.80	13.80	4.30	7.24	6.92	8.95	9.70	22.52
ओएनसीबी	30.00	30.00	30.00	16.13	19.26	22.55	24.90	23.70	10.10
पीएनसीबी	30.00	30.00	30.00	26.96	31.27	34.19	37.78	36.07	7.55
मेक	5.00	10.00	10.00	4.02	5.75	6.54	6.40	7.00	14.85
एसिटाल्डीहाइड	189.01	167.01	163.01	67.77	58.96	60.46	65.74	61.89	−2.24
इथेनोलेमाइन्स	17.76	17.76	17.76	13.76	13.25	13.11	13.20	16.70	4.96
इथाइल एसिटेट	545.83	520.63	526.63	327.94	360.40	371.27	411.49	440.56	7.66
मेंथौल	33.65	33.65	33.65	17.45	14.73	14.54	13.68	6.24	−22.67
ओर्थो नाइट्रो टोल्यूईन	16.40	16.40	19.00	11.74	11.52	13.80	14.39	16.89	9.52
कुल	**2579.78**	**2528.71**	**2534.57**	**1619.11**	**1588.83**	**1638.44**	**1798.85**	**1884.42**	**3.87**
IV. पेस्टीसाइड्स एवं इंसेक्टी साइड्स									
डीडीटी	6.34	6.34	6.34	3.63	2.09	2.26	1.27	1.37	−21.66
मेलाथियॉन	3.80	3.80	3.80	2.24	2.04	2.26	3.29	4.39	18.31
डाइमीथोएट	1.45	1.45	1.45	1.43	1.44	1.37	1.18	1.26	−3.22
डीडीवीपी	33.92	33.92	33.62	6.66	7.22	8.13	8.13	9.14	8.24
क्वीनलफोस	2.80	2.80	2.20	1.88	0.84	1.29	1.18	0.89	−17.18
मोनोक्रोटोफोस	13.94	13.94	13.94	6.97	5.48	6.58	5.50	5.30	−6.62
फोस्फामिडोन	2.00	2.00	2.00	0.13	0.13	0.09	0.11	0.00	−100.00
फोरेट	10.13	12.40	12.40	6.62	5.92	5.91	7.02	5.85	−3.05
इथीयोन	2.20	2.20	2.20	1.60	1.72	2.11	2.38	1.32	−4.79
फेनवेलीरेट	3.60	3.60	3.60	0.51	0.56	0.53	0.74	0.70	7.94
साइपरमेथरिन	27.79	24.33	24.43	8.59	8.53	7.88	8.25	10.95	6.27
एसिफेट	19.67	19.67	18.97	17.97	16.58	16.27	18.27	19.63	2.24
क्लोरपाइरीफोस	16.85	19.15	18.48	9.73	6.87	5.87	7ʊ98	7.14	−7.44
ट्राइएजोफेस	3.90	3.36	3.36	1.00	1.72	2.37	1.54	0.89	−2.98
टेमीफोस	0.25	0.25	0.25	0.00	0.08	0.08	0.10	0.08	
डेल्टामिथ्रिन	0.61	0.61	0.62	0.51	0.38	0.37	0.55	0.68	7.48
एल्फामिथ्रिन	0.50	0.50	0.50	0.75	0.23	0.10	0.32	0.34	−17.59
प्रोफेनेफोस तकनीकी	12.90	10.50	10.50	7.58	6.85	10.50	9.95	12.45	13.22
प्रीटीक्लोर तकनीकी	2.58	2.58	2.58	1.88	1.94	2.58	3.60	3.63	17.91

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी आर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लैम्ब्डेसाइलोथ्रिन	2.40	2.40	2.60	0.47	0.42	0.74	1.14	0.62	7.09
फेंथोएट	0.90	0.90	0.90	1.40	1.11	1.14	1.32	1.53	2.31
पेर्मेट्रिन टेक	1.97	1.97	1.67	1.70	1.30	1.10	1.53	1.86	2.33
इमीडेकेलोप्रिड टेक	1.13	1.13	1.13	0.56	0.20	0.18	0.34	0.10	–34.99
केप्टेन और केपटाफोल	3.45	3.43	3.43	2.38	2.12	1.79	1.76	1.93	.5.11
जिराम (थियोबारबामेट)	0.70	0.70	0.70	0.58	0.51	0.60	0.72	0.76	7.19
कारबिनडजिम (बेविस्टिन)	0.98	0.98	0.98	0.36	0.24	0.13	0.03	0.02	–50.68
मेनकोजेब	72.46	77.14	82.39	61.40	66.38	78.48	70.25	69.33	3.08
हेक्साकॉन्जोल	1.08	1.08	1.08	0.59	0.62	0.46	0.59	0.50	–4.13
मेटकोनेजोल	0.75	0.75	0.75	0.61	0.39	0.35	0.40	0.34	–13.74
2. 4–डी	22.00	26.00	27.00	11.62	18.46	23.36	25.83	24.24	20.17
बूटाक्लोर	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
इथोफूमेसेट तकनीकी	1.56	1.65	1.43	0.62	0.50	1.04	1.29	1.04	13.91
थाइमेथॉक्सम तकनीकी	3.10	3.10	3.10	1.66	1.92	2.51	3.28	5.57	35.36
पेंडिमेथालिन	3.00	4.50	4.50	2.26	2.82	4.04	3.78	2.82	5.72
मेट्रीबुजिन	1.20	1.20	1.20	0.52	0.91	1.12	0.88	1.92	38.67
ट्राइक्लोपेयर एसिड टेक	0.30	0.30	0.30	0.19	0.30	0.28	0.15	0.13	–10.06
आइसोप्रोटयूरोन	6.25	6.25	6.25	2.43	1.95	0.13	0.00	0.00	–100.00
ग्लाइफोसेट	9.26	13.16	12.92	9.69	6.96	6.35	6.29	6.68	–8.86
डाइयूरोन	3.30	3.72	3.72	0.12	1.26	3.68	3.26	3.62	133.36
एट्राजिन	0.50	0.50	0.50	1.20	1.21	1.90	2.25	1.48	5.37
जिंक फॉस्फाइड	1.32	1.92	1.92	1.29	1.50	1.31	1.40	1.26	–0.59
एल्यूमिनियम फोसफाइड	3.90	4.74	4.74	5.05	5.75	6.40	4.77	4.91	–0.69
डाइकोफोल	0.15	0.15	0.15	0.11	0.09	0.09	0.08	0.05	–16.51
कुल	**307.39**	**321.57**	**325.09**	**186.47**	**187.52**	**213.72**	**212.70**	**216.70**	**3.83**
रंजक एवं रंजक पदार्थ									
एजो डाईज 22.62	22.62	22.62	21.14	10.59	9.82	9.98	11.04	9.05	-3.86
एसिड डाइरेक्ट डाईज (एजो के अलावा)	44.90	44.90	44.90	17.23	20.57	19.86	21.15	24.13	8.79
डिस्पर्स डाईज	55.21	71.01	67.21	29.56	43.57	41.35	46.72	55.24	16.92
फास्ट कलर बेसेस	0.50	0.50	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
इंग्रेन डाईज	1.61	1.61	1.44	0.44	0.30	0.00	0.00	0.00	-100.00

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					प्रतिशत वृद्धि
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ऑयल साल्यूबल यसोलवेंट डाईजद्ध	3.60	3.60	3.60	1.80	2.20	2.23	2.07	2.29	6.22
आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	40.90	40.90	40.80	22.94	24.70	23.77	23.21	29.30	6.31
ऑर्गेनिक पिंगमेंट	80.75	80.75	87.04	76.89	61.31	63.74	73.34	73.94	-0.98
पिगमेंट इमलसन	5.41	5.41	5.41	9.64	9.67	10.61	10.16	9.78	0.35
रिएक्टिव डाइज	171.82	170.59	178.49	89.47	106.23	120.96	151.91	151.38	14.05
सल्फर डाइज यसल्फर ब्लैकद्ध	3.00	3.00	8.25	9.38	9.55	10.07	7.32	7.54	-5.32
वैट डाईज	2.98	2.98	2.86	1.77	1.44	1.52	1.65	1.78	0.16
सॉल्यूबिलाइज्ड वैट डाईज	0.13	0.13	0.13	0.03	0.03	0.02	0.02	0.004	-40.54
फूड कलर	0.00	0.00	0.00	0.66	0.71	0.75	0.78	0.786	4.54
नेफ्थोल्स	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
इनऑर्गेनिक पिगमेंट	**18.05**	**18.05**	**18.05**	**14.82**	**14.19**	**15.41**	**17.88**	**16.29**	**2.39**
कुल	**452.37**	**466.95**	**480.22**	**285.23**	**304.28**	**320.27**	**367.25**	**381.51**	**7.54**

टिप्पणी :उत्पादन एवं संस्थापित क्षमता के आंकड़े सिर्फ वृहत एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयों से प्राप्त एमपीआर पर आधारित हैं।

टिप्पणी:– पेस्टीसाइड्स उत्पादन करने वाली कुछ इकाईयां मिश्रित संस्थापित क्षमता की आपूर्ति करती हैं।

अनुबंध – II

उत्पादवार संस्थापित क्षमता एवं प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजी आर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क : मूल प्रमुख रसायन									
I : सिन्थे टिक फाइबर्स / यार्न									
1. पॉलीमर्स फिलामेंट यार्न (पीएफवाई)	2898.36	2841.29	2715.53	2178.749	2179.003	2200.908	2283.406	2316.43	1.54
2. नायलॉन फिलामेंट यार्न (एनएफवाई)	61.96	63.96	63.96	32.449	37.251	40.906	40.008	46.615	9.48
3. नायलॉन इंडस्ट्रियल यार्न (एनआईवाई)	93.58	93.58	93.58	100.524	94.866	103.559	107.585	109.545	2.17
4. पोलीप्रोपाइलीन फिलामेंट यार्न (पीपीएफवाई)	3.60	3.60	3.60	5.14	3.467	3.394	3.146	2.356	-17.72
उप कुल यार्न (1+2+3+4)	**3057.49**	**3002.42**	**2876.67**	**2316.86**	**2314.59**	**2348.77**	**2434.15**	**2474.95**	**1.66**
5. एक्रेलिक फाइबर (आईएसी ड्राई स्पन) (एएफ)	107.00	107.00	107.00	89.63	105.87	95.39	90.97	99.45	2.64
6. पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	1256.56	1256.08	1256.56	1021.25	1039.65	1056.00	1005.30	931.44	-2.27
7. पॉलीप्रोपीलीन स्टेपल फा. इबर (पीपीएसएफ)	32.13	32.13	32.13	25.42	27.04	24.56	22.24	20.74	-4.96
8. पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ)	69.00	69.00	69.00	57.30	51.05	53.65	51.33	52.99	-1.93
9. पॉलीस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीआईवाइ)	21.50	21.50	21.50	16.58	15.38	16.33	15.04	14.83	-2.76
10. इलास्टोमेरिक / स्पैन्डेक्स फिलामेंट यार्न	5.00	5.00	8.50	4.95	4.81	4.70	6.18	7.08	9.36
उप कुल फाइबर (5 से 10)	**1491.19**	**1490.71**	**1494.69**	**1215.12**	**1243.80**	**1250.63**	**1191.05**	**1126.53**	**-1.87**
कुल सिन्थेटिक फाइबर्स/यार्न (1से10)	**4548.68**	**4493.13**	**4371.35**	**3531.98**	**3558.39**	**3599.40**	**3625.20**	**3601.48**	**0.49**
II : पॉलीमर्स									
1. लाइनर लॉ डेनसिटी पॉलीइथाइलीन (एलएलडीपीई)	कोई अलग क्षमता नहीं			910.257	1204.568	1318.263	1290.046	1581.224	14.80
2. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)	कोई अलग क्षमता नहीं			1155.794	1317.151	1520.037	1578.378	1597.676	8.43
एलएलडीपीई/एचडीपीई (मिश्रित)*	**3135.00**	**3135.00**	**3135.00**	**2066.05**	**2521.72**	**2838.30**	**2868.42**	**3178.90**	**11.37**
3. लॉ डेनसिटी पॉलीइथाइलीन (एलडीपीई)	160.00	160.00	160.00	184.40	200.03	201.76	185.66	193.05	1.15
4. पॉलीस्ट्रीन (पीएस)	472.00	472.00	471.00	281.17	308.58	311.35	301.58	292.86	1.02
5. पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी)	4456.20	4456.20	4456.20	3614.82	4284.42	4253.39	4350.20	4779.02	7.23

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. पॉली विनायल क्लोराइड (पीवीसी)	1423.00	1493.00	1493.00	1330.44	1437.89	1461.53	1466.08	1488.40	2.84
7. विस्तार योग्य पॉलीस्ट्रीन (ईएक्स–पीएस)	121.80	122.80	126.30	80.68	86.20	96.77	103.91	108.27	7.63
कुल पॉलीमर्स	**9768.00**	**9839.00**	**9841.50**	**7557.57**	**8838.84**	**9163.10**	**9275.85**	**10040.50**	**7.36**
III : सिन्थेगटिक रबर									
1. स्टेरीन बुटाडीन रबर (एसबीआर)	271.00	271.00	271.00	57.25	124.80	167.33	193.97	228.64	41.37
2. पॉली बुटाडीन रबर (पीबीआर)	114.00	114.00	114.00	107.54	113.93	117.09	113.63	122.23	3.25
3. नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर)	25.30	25.30	25.30	0.38	0.39	0.35	0.05	0.00	-100.00
4. इथाइल विनायल एसीटेट (ईवीए)	15.00	15.00	15.00	6.42	2.41	0.00	0.00	0.00	-100.00
कुल सिन्थेटिक रबर	**425.30**	**425.30**	**425.30**	**171.59**	**241.53**	**284.78**	**307.66**	**350.87**	**19.58**
IV : सिन्थेटटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती									
1. लीनियर एलेकेल बेंजीन (एलएबी)	547.40	547.40	547.40	410.54	377.20	447.65	451.53	454.82	2.59
2. इथाइलीन ऑक्साइड (ईआ)	140.00	140.00	140.00	185.32	188.31	216.06	291.30	232.34	5.82
कुल सिन्थेटिक डिटरजेंट मध्यवर्ती	**687.40**	**687.40**	**687.40**	**595.86**	**565.51**	**663.71**	**742.82**	**687.16**	**3.63**
V : परफोरमेंस प्लास्टिक									
1.एबीएस रेजीन	128.00	140.00	140.00	107.28	117.01	117.77	145.23	148.18	8.41
2.नायलोन–6 एवं नायलोन 66	28.20	28.20	28.20	20.75	21.44	21.54	20.56	21.52	0.92
3.पोलीमर मेथाक्रायलेट (पीएमएमए)	3.50	3.50	3.50	1.05	1.47	0.29	0.02	0.00	-100.00
4.स्ट्रीन एक्रोलॉनिटिल(एसएएन)	136.00	148.00	148.00	88.77	98.68	99.24	114.69	131.76	10.38
5. पीईटी चिप्स/पॉलीस्टर चिप्स	2702.91	2605.06	2477.40	1361.98	1452.93	1548.70	1424.60	1271.09	-1.71
6.पीटीएफई (टेफलॉन)	19.71	19.80	19.80	11.35	8.75	11.73	13.72	16.24	9.36
कुल परफार्मेंस प्लास्टिक्स	3018.32	2944.56	2816.90	1591.18	1700.27	1799.27	1718.81	1588.79	-0.04
कुल मूल प्रमुख पेट्रोरसायन									
(I+II+III+IV+V)	**18447.70**	**18389.39**	**18142.45**	**13448.16**	**14904.54**	**15510.25**	**15670.34**	**16268.79**	**4.88**
खः मध्यवर्ती									
I : फाइबर मध्यवर्ती									
1. एक्रिलोनिट्रील (एसीएन)	41.00	41.00	41.00	33.70	1.94	0.00	0.00	0.00	-100.00
2. केप्रोलेक्टम	120.00	120.00	120.00	87.05	86.30	86.96	85.97	92.56	1.55
3. मोनो इथाइल ग्लाइकोल (एमईजी)	1153.40	1153.40	1153.40	1001.14	1158.97	1110.50	1132.65	1159.76	3.75

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. प्यूरीफाइड टेरेपेथेलिक एसिड (पीटीए)	3753.00	3753.00	3873.00	3755.28	3431.78	3390.56	3492.44	3404.93	-2.42
कुल फाइबर मध्यवर्ती	**5067.40**	**5067.40**	**5187.40**	**4877.16**	**4678.98**	**4588.01**	**4711.06**	**4657.25**	**-1.15**
II : बिल्डिंग ब्लाक्स									
ओलेफिन									
1. इथाइलीन	4283.40	4233.40	4233.40	3191.90	3727.39	4021.73	4222.68	3831.89	4.67
2. प्रोपाइलीन	4745.63	4745.62	4745.62	3869.40	4456.69	4425.21	4457.91	4639.53	4.64
3. ब्यूटाडीन	433.00	433.00	433.00	239.45	343.45	347.36	332.38	385.76	12.66
कुल ओलेफिन	**9462.03**	**9462.03**	**9412.02**	**7300.74**	**8527.53**	**8794.29**	**9012.97**	**8857.18**	**4.95**
एरोमेटिकस									
1. बेंजीन	1566.15	1566.35	1566.35	1094.38	1332.59	1332.04	1318.03	1414.56	6.63
2. टोलीन	287.97	288.27	288.27	108.16	115.74	126.76	106.94	141.14	6.88
3. मिश्रित जायलीन	898.33	898.33	898.33	215.00	269.35	296.03	271.35	249.05	3.74
4. ओर्थो जायलीन	420.00	420.00	420.00	462.46	499.51	444.88	447.76	406.30	-3.18
5. पैराक्साइलीन	3131.70	3131.70	3131.70	2757.84	3266.36	3161.30	3194.52	3331.81	4.84
कुल एरोमेटिक्स	**6304.15**	**6304.15**	**6304.65**	**4637.84**	**5483.55**	**5361.02**	**5338.60**	**5542.87**	**4.56**
कुल मध्य वर्ती									
(I+II)	**20833.58**	**20833.58**	**20904.07**	**16815.75**	**18690.06**	**18743.32**	**19062.62**	**19057.29**	**3.18**
ग: अन्य पेट्रो अधारित रसायन									
1.ब्यूटानॉल	26.00	26.00	26.00	4.20	11.08	12.47	17.39	21.69	50.73
2.सी–4रिफाईनेट	291.60	291.60	291.60	364.61	428.64	437.17	339.20	380.26	1.06
3.डायथाइलिन ग्लायकोल	84.50	84.50	83.30	100.96	114.24	108.24	105.70	107.41	1.56
4. डाइसोटोन अल्कोहल	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.21	4.07	
5. इथीलीन डाइक्लोराइड (उप उत्पाद)	593.20	593.20	593.20	285.30	277.35	282.57	282.35	339.20	4.42
6. 2–इथाइल हेक्सोनॉल	55.20	55.20	55.20	13.89	44.41	45.59	56.64	58.89	43.49
7. आइसोब्यूटोनॉल	2.80	2.80	2.80	0.67	1.86	1.96	2.23	2.21	34.65
8. आईसोप्रोपोनॉल (आईपीए)	70.00	70.00	70.00	74.98	71.18	72.47	71.83	58.27	-6.11
9. मिथाइल मेथाक्रायलेट (एमएमए)	4.38	4.38	4.38	3.47	2.28	0.54	2.83	3.99	3.56
10. पीथेलिक अनहाइड्राइड (पीएएन)	349.05	349.05	349.05	291.52	305.78	296.07	290.01	275.07	-1.44
11. प्रोपाइलिन ऑक्साइड (पीओ)	36.00	36.00	36.00	36.61	25.59	29.34	36.00	35.12	-1.03
12.प्रोपाइलिन ग्लायकोल(पीजी)	20.00	20.00	20.00	16.25	13.65	16.35	17.64	19.13	4.17

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

प्रमुख समूह / उत्पाद	संस्थापित क्षमता			उत्पादन					सीएजीआर
	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. पॉलीविनाइल एसिटेट रेसिन	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14. विनायल एसीटेट मोनोमर (वीएएम)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15. विनायल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) (उप उत्पाद)	541.30	541.30	541.30	717.88	790.71	791.26	777.98	803.62	2.86
16. पोलयोल	142.00	141.63	141.63	51.78	71.80	78.72	79.43	82.13	12.22
17. पीबीटी	**	**	**	0.50	0.50	0.61	0.58	1.29	26.60
18. पॉलिकार्बोनेट	**	**	**	0.16	0.17	0.15	0.09	0.12	-8.49
कुल अन्य पेट्रो आधारित रसायन	**2272.87**	**2272.87**	**2272.49**	**1962.81**	**2159.22**	**2173.50**	**2080.10**	**2192.46**	**2.80**

टिप्पणी: * एलएलडीपीई और एचडीपीई दोनों की संयुक्त स्थापित क्षमता।

टिप्पणी: * संयुक्त स्थापित एनएन –6, एन 66

स्रोत: बड़े और मध्यम पैमाने की इकाइयों से प्राप्त एमपीआर पर आधारित उत्पादन और स्थापित क्षमता डेटा।

अनुबंध–III

रोटरडेम कन्वेंशन के तहत खतरनाक रसायन

कीटनाशक और औद्योगिक रसायन वर्ग में कुल – 52 रसायन, 35 कीटनाशक (3 गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक फार्मूलेशन सहित), 16 औद्योगिक रसायन और 1 रसायन हैं।

क्र. सं.	रसायन	श्रेणी
1	2,4,5–टी और उसके लवण और एस्टर	पेस्टीसाइड
2	एलाक्लोर	पेस्टीसाइड
3	एल्डीकार्ब	पेस्टीसाइड
4	एल्ड्रिन	पेस्टीसाइड
5	एजिनफोस मिथाइल	पेस्टीसाइड
6	बाइनापैकराइल	पेस्टीसाइड
7	कैप्टाफॉल	पेस्टीसाइड
8	क्लोरडेन	पेस्टीसाइड
9	क्लोरोडाईमेफार्म	पेस्टीसाइड
10	क्लोरोबेंजाइलेट	पेस्टीसाइड
11	डीडीटी	पेस्टीसाइड
12	डाईलड्रीन	पेस्टीसाइड
13	डिनाइट्रो–ऑर्थो–क्रोसोल (डीएनओसी) और उसके लवण (जैसे अमोनियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट और सोडियम साल्ट)	पेस्टीसाइड
14	दीनोजब और उसके लवण और एस्टर	पेस्टीसाइड
15	1,2–डीब्रोमोथेन (ईडीबी)	पेस्टीसाइड
16	एंडोसल्फान	पेस्टीसाइड
17	ईथीलीन डाइक्लोराइड	पेस्टीसाइड
18	इथिलीन ऑक्साइड	पेस्टीसाइड
19	फ्लूरोएसीटेमाइड	पेस्टीसाइड
20	एचसीएच (मिश्रित आइसोमस)	पेस्टीसाइड
21	हेप्टाक्लोर	पेस्टीसाइड
22	हेक्साक्लोरोबेंजीन	पेस्टीसाइड
23	लिंडेन (गामा–एचसीएच)	पेस्टीसाइड
24	अकार्बनिक मरकरी यौगिकों, अल्किल पारा यौगिकों और एल्किलॉयलॉलिक और एरिल पारा कंपाउंड सहित मरकरी कंपाउंड	पेस्टीसाइड
25	मोनोक्रोटोफॉस	पेस्टीसाइड

26	पैराथियॉन	पेस्टीसाइड
27	पेंटैक्लोरोफिनॉल और उसके साल्ट और एस्टर	पेस्टीसाइड
28	टोक्सफेनी (कैम्फेक्लोर)	पेस्टीसाइड
29	ट्राइब्यूटाईलीन कंपाउंड	औद्योगिक रसायनध्पेस्टीसाइड
30	डस्टेबल पाउडर फॉर्मूलेशन जिसमें एक कांबिनेशन शामिल हैरू 7% या उससे अधिक बिनोमाईल, 10% से ऊपर कार्बोफूरेनए 15% से अधिक या उससे ऊपर थिरम	गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक का फार्मूलेशन
31	19.5% एक्टिव इंग्रेडिएट पर मिथाइल–पैराथिऑन (इमल्सीफिएबल कंसंट्रेट) या 1.5% एक्टिव इंग्रीडिएंट पर या उससे ऊपर डस्ट	गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक का फार्मूलेशन
32	फॉस्फैमिडोन (1000 ग्राम सक्रीय घटक/एल से अधिक पदार्थ का सोल्यूएबल लिक्विड फार्मूलेशन)	गंभीर रूप से खतरनाक कीटनाशक का फार्मूलेशन
33	एस्टीनोलाइलट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
34	एंथोफिलाईट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
35	एमोसाइट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
36	क्रोकिडोइलाइट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
37	ट्रीमोलाईट एस्बेस्टोस	औद्योगिक
38	वाणिज्यिक ऑक्टब्रोमोडिफेनील ईथर (हेक्साब्रोमोडिफेनील ईथर और हेप्टोब्रोमोडिफेनील ईथर सहित)	औद्योगिक
39	वाणिज्यिक पेंटाब्रोमोडिफेनील ईथर (टेट्राब्रोमोडिफेनील ईथर और पेंटाब्रोमोडिफेनील ईथर सहित)	औद्योगिक
40	पेफ्लुओरयुक्टेन सल्फोनिक एसिड, पेफ्लुओरुक्टेन सल्फोनेट्सए पेफ्लुओरुक्टेटेन सल्फोमामाइड और पेफ्लुओरक्केटेन सल्फोनील	औद्योगिक
41	पॉलीब्रोमिनेटेड बायफनील (पीबीबी)	औद्योगिक
42	पोलिकिकोरिनेटेड बायफनील (पीसीबी)	औद्योगिक
43	पोलिकिकोरिनेटेड टेरफेनील (पीसीटी)	औद्योगिक
44	टेट्राईथाइल लेड	औद्योगिक
45	टेट्रामिथाइल लेड	औद्योगिक
46	ट्राइस (2,3–डायब्रोमोप्रोपिल) फॉस्फेट	औद्योगिक
47	कार्बोफुरान	पेस्टीसाइड
48	ट्राइक्लोरोफोन	पेस्टीसाइड
49	शॉर्ट चेन क्लोरीनेटिड पैराफिन्स (एससीसीपी)	औद्योगिक
50	मेथामाइडोफोस	पेस्टीसाइड
51	फोरेट	पेस्टीसाइड
52	हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन	औद्योगिक

अनुबंध – IV

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का संगठनात्मक चार्ट (06.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली–110001

बेवसाइड : **www.chemicals.gov.in**

सुविधा काउंटर : **91-11-23384317**